नव प्रदेश

www.navpradesh.com | रायपुर, बुधवार 21 जुलाई 2021, शुक्ल पक्ष-द्वादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-161 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के परमेश्वर राजकुंद्रा गंदी फिल्मे बनाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। वेब सीरीज के नाम पर अश्लीलता का कारोबार करने वाले ऐसे और कई नामी गिरामी लोग है जो फिलहाल कानून के तथा कथित लंबे हाथों की पकड़ से बाहर है। सरकार की उदासीनता और केन्द्रिय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निष्क्रीयता का ही यह दुष्परिणाम है कि राज कुंद्रा जैसे लोग यह गंदा खेल खेलने का दु:साहस कर रहे है। समाज में गंदगी फैलाने वाले ऐसे लोगों की बॉलीवुड में भरमार है जिनका अब सभी को मिलकर बहिष्कार करना चाहिए।

चोरी कबूलने सरपंच की धमकी, मां-बाप ने चार बच्चों समेत पिया जहर, गंभीर

चोरी का आरोप कबूल नहीं करने पर गांव से निकालने सरपंच की धमकी

धमतरी/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सोमवार देर रात यादव दंपती ने अपने दो बेटों और दो बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी का प्रयास किया। किसी काम से अचानक घर आए पड़ोसी ने सभी के मुंह से झाग निकलता देखा तो उसने रिश्तेदारों को बुलाकर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फ्लिहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पड़ोसी के घर हुई चोरी का परिवार के मुखिया पर आरोप है। पुलिस भी इस संबंध में पूछताछ कर रही थी। वहीं बेटे का कहना है कि सरपंच और अन्य लोग चोरी कबूल करने का दबाव बना रहे थे। मामला भखारा थाना क्षेत्र का है। दरअसल, धमतरी जिले के ग्राम जुगदेही ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पडोसी ने बचाई जान

पड़ोसी जब घर में घुसा तो देखा कि बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा है। जबकि दिलीप और उसकी पत्नी कविंद्री बेसुध पड़े हुए हैं। इसके बाद उसने गांव में ही कविंद्री के मायके में सूचना दी। वहां से कविंद्री के पिता पहुंचे और फिर 108 एंबुलेंस से सभी को रात करीब 1 बजे जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर सभी का उपचार जारी है। हालांकि अभी भी दंपती बेहोशी की हालत में हैं। न वह बात कर पा रहे हैं, न ही किसी को ठीक से पहचान रहे हैं।

बेटे ने बताया जहर पीने का कारण

दिलीप के बेटे ने बताया कि सोमवार दोपहर को गांव के सरपंच नेम साहू, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष और पंच घर आए थे। सभी ने पिता पर चोरी का आरोप लगाया। साथ ही कबूल करने के लिए दबाव भी बना रहे थे। पापा चोरी की बात से मना करते रहे। इस पर सरपंच ने आरोप स्वीकार नहीं करने पर गांव से बाहर निकाल देने की धमकी दी। उनके जाने के बाद ही से पापा काफी परेशान थे। इसके बाद रात में पता नहीं कहां से जहरीला पदार्थ ले आए और सबको पीने के लिए कहा।

देश की 40 करोड़ आबादी को कोरोना संक्रमण का खतरा

- हर तीन में एक को संक्रमण का खतरा
- करीब 68 प्रतिशत लोगों में मिली कोरोना के खिलाफ एंटी बॉडी
- सीरो सर्वे में इस बार 6 से 17 साल के बच्चे भी शामिल
- देशभर के कुल 70 जिलों में चौथी बार किया गया है सीरो सर्वे

नई दिल्ली/ए.। देश में 6 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में से करीब एक तिहाई आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हर तीन में से एक शख्स को यह खतरा है। यानी करीब 40 करोड़ लोग अब भी कोरोना के खतरे में हैं। सीरो सर्वे में सामने आया कि दो तिहाई आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है। यह या तो संक्रमण से बनी है या फिर वैक्सीन लगाने के बाद।

'जिन इलाकों में सीरो प्रिवलेंस कम, वहां अगली लहर का खतरा ज्यादा'

आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने चौथे सीरो सर्वे के डिटेल बताते हुए कहा कि जिन इलाकों में ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी है उन इलाकों में कोरोना की लहर आने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के बच्चों में आधे से ज्यादा सीरो पॉजिटिव मिले। सर्वे उम्मीद की किरण भी है और यह भी बताता है कि लापरवाही की अभी बिल्कुल जगह नहीं है।

'सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक आयोजनों से बचें'

डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की गैदरिंग से बचना चाहिए। बेहद जरूरी ना हो तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए और ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कोरोना: वयस्कों से ज्यादा मजबूत हैं बच्चे, खोले जा सकते हैं स्कूल: केन्द्र

देश में बच्चों की लगातार ठप पढ़ी पढ़ाई से चिंतित लोग अकसर यह सवाल पूछते हैं कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को गुड न्यूज दी। उन्होंने कहा कि बच्चे कोरोना के खिलाफकाफी मजबूत हैं और वे वयस्कों के मुकाबले इससे ज्यादा अच्छे ढंग से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का भी एंटीबॉडी एक्सपोजर उतना और वैसा ही है, जैसा वयस्कों में है। उन्होंने कहा कि स्वीडन जैसे कई स्कैंडिनेवियन देशों ने तो कोरोना की किसी भी लहर के दौरान प्राइमरी स्कूलों को बंद ही नहीं किया।

वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों में सीरी प्रिवलेंस सबसे ज्यादा

वैक्सीन नहीं लगी थी उनमें 62.3 पर्सेंट लोगों में सीरो प्रिवलेंस मिला यानी इतने लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। जिनमें वैक्सीन की एक डोज ही लगी, सर्वे में शामिल उन लोगों में 81 पर्सेंट लोगों में एंटी बॉडी मिली। दोनों डोज लगने के बाद 89.8 पर्सेंट में एंटीबॉडी मिली। सर्वे में शामिल हेल्थ केयर वर्कर्स में 85.2 पर्सेंट में एंटी बॉडी मिली। इनमें से 10 पर्सेंट ने वैक्सीन नहीं ली थी।

सीरो सर्वे में 21 राज्यों के 70 जिले शामिल

सीरो सर्वे में इस बार बड़ों के साथ 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। 28975 लोगों के सैंपल लिए गए साथ ही 7252 हेल्थ केयर वर्कर्स के भी सीरो सर्वे के लिए सैंपल लिए गए। यह सर्वे जून लास्ट से जुलाई फर्स्ट वीक तक किया गया। यह सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में किया गया।

भूपेश कैबिनेट की बैठक में स्कूल-कॉलेज खोलने की मिली मंजूरी

■ **महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई सात घंटे तक मंथन**

रायपुर/नवप्रदेश। भूपेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमे कई एजेंडों पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में प्रमुखतया आगामी मानसून सत्र में रखे जाने वाले विधेयक को अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में स्कूल खोलने पर हुआ है। कैबिनेट की बैठक करीब तीन माह बाद हुई जो करीब 7 घंटे तक चली। छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने का फैसला कैबिनेट में ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज दोनों को खोलने कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हाई स्कूल के साथ ही प्राथमिक शालाओं को भी खोले जायेंगे। वहीं 2 अगस्त से ही नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी कक्षाएं भी खोली जायेगी। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। अर्थात ■ शेष पृष्ठ 6 पर

गाइड लाइन का करना होगा पालन

कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पचांयतें पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद एवं पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

खास-खबर

दूसरे दिन भी नहीं चली लोकसभा की कार्यवाही

नयी दिल्ली (वार्ता)। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन टेलीफोन टैपिंग, महंगाई, किसान एवं डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। अपराह्न तीन बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के आसपास आ गये। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने एवं सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये।

40 हजार करोड़ रूपये की छह पनडुब्बियों के लिए आरएफपी जारी

नई दिल्ली (वार्ता)। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों से लैस छह पनडुब्बी बनाने के लिए दो स्वदेशी कंपनियों मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा लार्सन और ट्यूब्रो को प्रस्ताव के लिए अनुरोध यानी आरएफपी जारी किया है और इस परियोजना पर कुल 40 हजार करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बी की खरीद का निर्णय लिया गया था। प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) के तहत बनायी जाने वाली इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट फिट होगा और सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली खरीद होगी।

हाईकोर्ट ने सुना जीपी सिंह का मामला, फैसला सुरक्षित रखा

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को निलंबितत आईपीएस जीपी सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दोनो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। वहीं जीपी सिंह ने जो अंतरिम राहत की मांग को लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी। उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। मंगलवार को सरकार की ओर से केस डायरी पेश की गई है। दायर याचिका में एसीबी और रायपुर के कोतवाली थाने में राजद्रोह मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से जांच मांग की गई थी। इसके साथ ही राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच को रोककर अंतरिम राहत की मांग थी। जीपी सिंह ने अपने वकील किशोर भादुड़ी के माध्यम से रिट पिटीशन दायर कर राजद्रोह के केस को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

पेगासस केस: फ्रांस सरकार ने जासूसी को लेकर शुरू की जांच

पेरिस। पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा नेताओं, मंत्रियों, मीडियाकर्मियों की फोन हैकिंग का मामला न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी तूल पकड़ने लगा है। फ्रांस सरकार ने तो कथित तौर पर मीडिया कर्मियों की जासूसी की मामले में जांच शुरू करने का फैसला भी किया है। फ्रांसीसी जांचकर्ता 10 विभिन्न आरोपों को लेकर इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। इसमें यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या पेगासस मॉलवेयर के जरिये प्राइवेसी में सेंध लगाई गई। आरोप हैं कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने फ्रांसीसी पत्रकारों की पेगासस के जरिये जासूसी की थी। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस में मंगलवार को अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने मोरक्को खुफिया एजेंसी के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें कथित तौर पर इजरायली सुरक्षा समूह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिये इस निगरानी को अंजाम दिया गया। जांचकर्ता पता लगाएंगे कि क्या लोगों की प्राइवेसी, धोखाधड़ी के जरिये निजी इलेक्ट्रानिक उपकरणों तक पहुंच बनाई गई और क्या इसके पीछे कोई आपराधिक गठजोड़ है। खुफिया वेबसाइट मीडियापार्ट ने इसको लेकर सोमवार को एक केस दर्ज कराया था।

विधायक काफिले पर नक्सली हमला, एक जवान शहीद, एक जवान घायल

-बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने की पुष्टि

नारायणपुर/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मंगलवार को करीब ढाई घंटे से सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में आईटीबीपी का एक जवान के शहीद हो गया और एक के घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप का इस इलाके में आज दौरा भी था। उनके लिए ही रोड ओपनिंग पार्टी निकली थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने इसकी पुष्टि की है।

जानकारी के मुताबिक, जिले में मुठभेड़ आमदई और शिव मंदिर के बीच चल रही है। थाना छोटेडोंगर से आईटीबीपी 45वीं बटालियन के जवान आरपीओ ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। अभियान के दौरान सुबह करीब 10 बजे कैंप अमदई घाटी में डोंगर हिल्स की ओर जाने वाले मोड़ के पास पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर अचानक ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मानसून सत्र रास | **राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा में विपक्ष के नेता खड़गे का अटैक-**

पीएम ने अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ा स्वास्थ्य मंत्री पर

■ **सरकार की ओर से मौत के आंकड़े भी सही नहीं बताये**

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहे प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को बलि का बकरा बना दिया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कोरोना महामारी के कारण देश में उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पूरी तरह विश्वास जताया था लेकिन प्रधानमंत्री ने भरोसा तोड़ा और लोगों को धोखा दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने लोगों से अपील की तो उन्होंने थाली भी बजायी और ताली भी बजायी तथा दीया भी जलाया। घरों में कैद भी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से क्या मिला लोगों की मौत के आंकड़े भी सही नहीं बताये जा रहे। श्री खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री समस्या को सुलझाने में पूरी तरह विफल रहे लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करने को तैयार है और हम सब मिलकर इस चुनौती से निपट सकते हैं। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह , कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और खुद उनके द्वारा लिखे गये तीन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपे थे जिनमें अनेकों सुझाव थे लेकिन अब तक न तो उनका उत्तर दिया गया और न ही इस बारे में कोई बात की गयी। ऐसे में देश इस चुनौती से मिलकर कैसे निपटेगा।

अपने बनाए नियमों को खुद सरकार ने तोड़ा

उन्होंने कहा, 'अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने का पूरा श्रेय इसी सरकार को जाता है। आपने कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने को कहा, लेकिन खुद इसका पालन नहीं किया। आप क्या कर रहे थे पश्चिम बंगाल और दूसरे चुनावी राज्यों में। जो नियम आपने बनाया उसे तोड़ने का श्रेय भी आपको ही जाता है।'

नोटबंदी से लॉकडाउन की तुलना

उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा, 'नोटबंदी की तरह ही लॉकडाउन की घोषणा भी रात को की गई। 24 मार्च की रात को की गई। इस घोषणा के बाद प्रवासी कामगार किस हद तक परेशान हुए, यह सबने देखा है। लॉकडाउन की घोषणा न केवल आठ से पंद्रह दिन पहले की जानी चाहिए थी बल्कि प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहंचाने के लिए व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। यह जिम्मेदारी सरकार की थी लेकिन वह विफल रही।'

महामारी फैली तो कोर्ट उचित कार्रवाई कर सकता है: सुको

■ **यूपी की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुसरण करना**

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

गौवंशो की रक्षा के लिए गौ अभ्यारण्य बनाए सरकार : रतन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। गौवंश के संवर्धनए संरक्षण एवं गौवंश की तस्करी को रोकने प्रदेश बजरंग दल ने राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण बनाने का सुझाव दिया है। यह गौ अभ्यारण गौवंश के लिए सभी सुविधाओं से लैस होगा। जहां गौवंश के चारा.पानी व इलाज की व्यवस्था होगी। वहीं उनके गोबर व मूत्र का उपयोग कर खाद का निर्माण भी किया जाएगा। गौ अभ्यारण में एक तो गौवंश पूरी तरह सुरक्षित रहेंगेए साथ ही यहां तैयार होने वाले खाद से प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह गौ अभ्यारण की योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नरवाए गरूवाए घुरवा व बाड़ी योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से और अधिक असरकारी बनाएगी। इसके अलावा गौवंश के संवर्धन व संरक्षण में अहम स्थान रखने वाले प्रशासनिक तंत्र वेटनरी विभाग व पुलिस प्रशासन के कार्यशैली में सुधार लाने राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने बजरंग दल आग्रह करेगी। इस संबंध में प्रदेश बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर गौ अभ्यारण के मूल उद्देश्यों से अवगत कराकर छत्तीसगढ़ के जिलों में गौ अभ्यारण बनाने मांग करेंगी। यह बातें बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव, प्रदेश गौ रक्षा प्रमुख ओमेश बिसेन, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलछा ने मंगलवार को मीडिया से संयुक्त चर्चा में कही। इस दौरान बजरंग दल के विभाग सहमंत्री अनिल सिंह, संपर्क प्रमुख राकेश शिंदे एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। चर्चा में प्रदेश बजरंग दल के संयोजक रतन यादव ने बताया कि प्रदेश में बजरंग दल द्वारा गौवंश के संवर्धन व संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। जिसमें बजरंग दल को का॥ हद तक सफ्लता मिली है, लेकिन गौ रक्षकों को प्रशासनिक तंत्र का सहयोग नहीं मिलने से बजरंग दल का मकसद अभी भी अधूरा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौवंश के संवर्धन व संरक्षण के लिए पहल की है। प्रदेशभर में गौवंश को व्यवस्था देने गोठान खोले गए हैं। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने नरवा, गरूवा, घुरवा व बाड़ी योजना की शुरुआत की है। जिससे गौवंश के संवर्धन की दिशा में प्रदेश में नई उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री बघेल की इस पहल का बजरंग दल स्वागत करती है लेकिन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं से गौवंश अभी भी गोठान में चारा.पानी व इलाज के लिए तरस रहे हैं।

निगम व फूड एंड ड्रग कंट्रोल का संयुक्त अभियान

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। बार, रेस्टोरेंट और मेस में सीधे नागरिकों को परोसे जाने वाला खाद्य सामाग्री अमानक या असुरक्षित तो नहीं इसकी जांच की गई। आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर निगम व खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। कृष्णा टॉकिज स्थित रोड, मार्केट और प्रगतिनगर के 15 दुकानों से जांच करने 53 सैंपल लिया गया। जांच के दौरान 2 अमानक व 1 मिथ्या छाप पर नोटिस जारी किया गया। दरअसल बारिश के मौसम में बीमारी घर करने लगती है। आयुक्त सर्वे ने ऐसे स्थानों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए जहां बीमारी का केन्द्र बिन्दु है। यही वजह है कि निगम व खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग की टीम ने निगम क्षेत्र के अंगूरी, ब्लू हैवन बार समेत कान्हा आयोध्या, पुष्पांजली स्वीट्स जैसे बड़े प्रतिष्ठानों के किचन व्यवस्था की जांच की गई। अंगूरी बार के किचन का सीलिंग क्षतिग्रस्त और ब्लू हैवन बार का फ्लोर बेहद गंदा होने पर अधिकारियों ने साफसफाई व मरम्मत करने की अंतिम चेतावनी दी गई। टीम में फूड एवं सेफ्टी अफसर पुष्पाराज चौहान, नमूना सहायक दिव्या राजपूत, राजस्व विभाग प्रभारी हरचरण सिंह अरोरा, प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक बृजेन्द्र परिहार आदि शामिल थे। टीम सबसे पहले भिलाई मसाला उद्योग पहुंची थी। यहां पर संचालक ने कार्रवाई न किए जाने की मिन्नत करते क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को बुला लिया था। बाद में अधिकारियों ने दुकान संचालक को समझाईश दी और वहां से मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला जांच के लिया। टीम ने इस दौरान डेयरी से मिठाई, खोवा व नमकीन तथा मेस से बनी हुई सब्जी, दाल भात व फ्रीज में रखे वेजिटेबल का सैंपल लिया। फूड लाइसेंस, गुमास्ता व ट्रेड लाइसेंस भी चेक किया। व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे मियाद पूर्ण होने के पहले लाइसेंस नवीनीकरण करा ले।

न्यूज गैलरी

एक दिन में 6893 लोगों ने लगाया टीका

भिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण अभियान निरंतर जारी है, कोविड का टीका लगाने लोग अपने क्षेत्र के नजदीकी केन्द्रों में पहुंच रहे है। अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने पूरा निगम प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने हर संभव प्रयास किया जा रहा है, पिछले कुछ वक्त से अभियान स्वरूप अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आज भी वैक्सीनेशन के लिए केंद्र स्थापित किए गए जहां टीकाकरण का कार्य किया गया, परंतु वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण 21 जुलाई को वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के नेतृत्व में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण केंद्र संचालित किया जा रहा है जहां लोग स्वफूर्त टीका लगाकर संक्रमण की रोकथाम में अपनी सहभागिता दे रहे है। टीकाकरण के लिए सोमवार को जब शेड्यूल जारी किया गया था उसी दिन 6893 लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया। 45 वर्ष उम्र से अधिक के व्यक्तियों ने रुचि दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाया और सोमवार को 4117 ने अपना टीकाकरण करवाया वहीं 18 से 44 वर्ष के 2776 व्यक्तियों ने कोविड का टीका लगवाया।

अफसर फील्ड में रहकर नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं : महापौर

समस्याओं व शिकायतों का तत्काल हो निराकरण

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। शहर के महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज सुबह वार्ड 17 कादम्बरी नगर व आसपास के एरिया का भ्रमण किया। महापौर के साथ वार्ड पार्षद देवनारायण चन्द्राकर, निर्मला साहू, एल्डरमेन रत्ना नारमदेव, अजय गुप्ता मौजूद थे। महापौर ने निगम के अफसरों को फील्ड में रहकर नागरिकों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिये। महापौर ने कहा कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की कोताही न होने पाए। भ्रमण के दौरान सहायक अभियंता वीपी मिश्रा, उप अभियंता अर्पणा मिश्रा, उपअभियंता मोहित गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक मनीष यादव मौजूद रहे। वार्ड के नागरिकों ने शक्तिनगर व आसपास के क्षेत्रों में नाली और नाला की सफाई न होने की समस्या बताई। साइकिल से भ्रमण करते हुए महापौर ने कादम्बरी नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करने जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। बाकलीवाल ने कहा कि डेमेज हो चुकी नालियों की मरम्मत कराएं। किसी भी छोटी.छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने जरूरी कार्य कराते रहें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए साइकिल भ्रमण के दौरान महापौर ने नागरिकों से कहा कि कोविड गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। मास्क लगाएं और जरूरी होने पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। भ्रमण के दौरान ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार पाली, एनी पीटर, नंदू ध्रुव, राहुल अग्रवाल, सन्नी साहू, अमोल जैन सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बीते एक वर्ष में गोदाम बने सर्वसुविधायुक्त : वोरा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। छग राज्य भंडारगृह निगम के चेयरमैन अरुण वोरा कवर्धा क्षेत्र के गोदामों के निरीक्षण पर पहुंचे। मगरदा स्थित 39800 एमटी गोडाउन पहली बार पहुंचने पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही युवक कांग्रेस ने भी वोरा का जोरदार स्वागत किया। शाखा प्रबंधक आरडी त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2020.21 में शाखा को 4.87 करोड़ की आय हुई है। उन्होंने कर्मचारियों की ओर से विगत एक वर्षों के अध्यक्षीय कार्यकाल में श्री वोरा द्वारा मूलभूत सुविधाओं की स्वीकृति देने हेतु उनका आभार जताते हुए बताया कि लंबे समय से उपेक्षित रहे कवर्धा के गोदामों में बीते एक वर्षों में पेयजल हेतु मगरदा परिसर में सम्बरसिबल पम्प, पानी टंकी, हम्माल शेड एवं शौचालय का निर्माण कराया गया है। हथलेवा परिसर में पानी टंकी लग जाने से कर्मचारियों की पेयजल की समस्या दूर हुई है। अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में बाउंड्रीवाल, गोदाम की छत में नवीन प्रोफाइल शीट एवं हथलेवा चारभाठा परिसर में 2 नग स्टोर रूम बनाने की मांग रखी जिस पर अध्यक्ष वोरा ने अतिशीघ्र स्वीकृति देने आश्वासन दिया। श्री वोरा ने कोरोना काल मे पूरी जवाबदेही एवं समर्पण से वेयरहाउसिंग के कार्यों के निष्पादन करने हेतु अधिकारी, कर्मचारी एवं हम्मालों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अन्न का एक एक दाना सुरक्षित रखने में भंडारगृह के कर्मचारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशानुसार लगातार निगम की क्षमता बढ़ाने एवं आधुनिक व सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी है। नया रायपुर में 14 करोड़ की लागत से मध्यभारत का प्रथम फूड टेस्टिंग लैब बन जाने से जल्द ही प्रदेश पैकेज फूड टेस्टिंग के मामले में भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है। वोरा ने भोरमदेव मंदिर पहुंच कर दुर्ग शहर के साथ ही पूरे प्रदेश की खुशहाली एवं सावन में किसानों के रोपा के लिए लाभदायक पर्याप्त वर्षा की कामना की। इस दौरान पोषण साहू, एल्डरमैन अंशुल पांडेय, मनीष नायक मौजूद थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202107100400240

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती राजेश्वरी देशमुख पति तोरणलाल देशमुख निवासी वार्ड 16 ग्राम चंदखुरी तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 322/3 रकबा 0.0142 हें/ 1530 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59(2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202107100700188

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार सिंह पिता रामाधार सिंह निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1027/50 रकबा 0.009 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सिया दुलारी बाई पति रामाधार सिंह की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नाजेरा खांन पिता/पति स्व. मजीऊद्दीन अली खान निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1076/11/7 रकबा 0.0040 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार मजीउद्दीन अली खान की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202107100700231

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लीना दास पति स्व. कौशलेन्द्र दास निवासी ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/16 रकबा 0.0080 हे. भूमि को दानदाता श्रीमती कमला बाई पति स्व. बालकदास मानिकपुरी निवासी ग्राम कैलाशनगर दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 07.07.2021 दान में प्राप्त किया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुधीर साहू पिता विनोद कुमार निवासी ग्राम अरण्य नगर तहसील इंदौर के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 32/44 रकबा 0.015 हे. भूमि को उपहारकर्ता विनोद कुमार पिता स्व. बसंतलाल साहू निवासी ग्राम हरिनगर दुर्ग से रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 30.03.2021 द्वारा उपहार में दिया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड उपहारपत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शशिकांत सिंह पिता एस.बी. सिंह निवासी ग्राम प्रगति नगर रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम रिसाली तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 323/2/1 रकबा 0.003 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती कलावती निर्मलकर पिता/पति एस.एस निर्मलकर निवासी ग्राम मरोदा सेक्टर भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 12.07.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती वीणा दीवान ध.प. ओंकारधर दीवान साकिन सुपेला द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.न. 12 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 826 रकबा 0.01 हे. पुराना ख.न. 147/14 को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रय किया था, जिसका कब्जा के अनुसार नक्शा में चौहदी त्रुटि पूर्ण है, अतः नक्शा में सुधार किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुमित्रा बाई पति स्वय जीवनलाल निवासी थनौद तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति जीवनलाल के नाम पर ग्राम थनौद प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 2072 रकबा कुल 0.2500 हे. भूमि एकल खाता/ शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/सहखातेदार तेजप्रकाश की मृत्यु दिनांक 27.10.2019 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 30.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.07.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोपाल राठी पिता नत्थूलाल निवासी गंजपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता नत्थूलाल के नाम पर ग्राम महमरा प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 228, 229, 230 रकबा कुल 3.320 हे. भूमि एकल खाता/ शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/सहखातेदार तेजप्रकाश की मृत्यु दिनांक 28.08.2020 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 10.08.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री नारायण दत्त पंत आ. जयबहादुर पंत साकिन सेक्टर-05 भिलाई के द्वारा ग्राम पाउवारा प.ह.न. 44 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 305/4 रकबा 0.046 हे. 5000 वर्गफीट भूमि दानदाता महादेव पंत आ. जयबहादुर पंत से रजिस्टर्ड दान दिनांक 15.07.2021 को दान किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 05.08.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती लीलम चंद्राकर पति खेमचंद चंद्राकर साकिन भरेगांव के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1377/2 का टु. रकबा 0.021 हे. 2113 वर्गफीट भूमि मुन्नालाल आ. रामलाल व अन्य से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक ... को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 05.08.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 19.07.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री मनोज कुमार आ. स्व. बुलाकीराम साहू निवासी कानाकोटा तह. पाटन द्वारा ग्राम कानाकोटा प.ह.न. 30 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 277/2, 274/3, 275, 274/1, 727 रकबा क्रमशः 2.01 हे. जो कि सहखातेदार बुलाकीराम एवं मनोज कुमार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। सहखातेदार बुलाकीराम की दिनांक 08.09.2019 को फौत हो जाने के कारण फौती दर्ज किए जाने आवेदन किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 07.08.2021 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नही होगा।

आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश दास मानिकपुरी आ. स्व. लखनदास मानिकपुरी निवासी अचानकपुर तह. पाटन द्वारा ग्राम अचानकपुर प.ह.न. 24 तह. पाटन की आबादी भूमि खसरा नंबर 184/1/95 रकबा 335 वर्गमीटर भूमि आबादी पट्टा जो कि लखनदास के नाम दर्ज है उनकी फौत 03.08.2018 को हो जाने के कारण नामांतरण किए जाने आवेदन किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12.08.2021 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नही होगा।

आज दिनांक 16.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती चम्पादेवी सिंह पति स्व. बनारसी सिंह निवासी गोल चौक रोहणीपुरम रायपुर द्वारा ग्राम कोनाकोटा प.ह.न. 30 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 106/3 रकबा 0.30 हे. को विक्रेता गंगाराम आ. सुंदरलाल निवासी कानाकोटा तह. पाटन से पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2018 को क्रय करने के कारण नामांतरण किए जाने आवेदन किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 05.08.2021 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नही होगा।

आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक नंदकुमार आ. सुकदेव निवासी कानाकोटा तह. पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कानाकोटा प.ह.न. 30 तह. पाटन की भूमि खसरा नंबर 483/2 रकबा 0.06 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है तथा आवेदक को बंटवारा में प्राप्त हुआ है जिसका कम्प्यूटर रिकार्ड दुरुस्ती हेतु आवेदन पेश किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 29.07.2021 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नही होगा।

आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम-परिवर्तन

मैं मिनल मनोहर मेश्राम पिता श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम निवासी म.न. सी/6/10 एन.एस.पी.सी.एल टाउनशिप रुआबांधा वार्ड 55 भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. की हूं। मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों जैसे मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम मिनल मनोहर मेश्राम दर्ज है जो कि मेरा सहीं एवं वास्तविक नाम है। मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मिनल मेश्राम दर्ज है जो कि मेरा लघु नाम है जबकि मेरा सहीं वास्तविक एवं विस्तारित नाम मिनल मनोहर मेश्राम है। मिनल मनोहर मेश्राम एवं मिनल मेश्राम ये दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे स्वयं का ही है। मैं अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों में अपना सहीं एवं वास्तविक नाम मिनल मनोहर मेश्राम दर्ज कराना चाहती हूं तथा मैं भविष्य में मिनल मनोहर मेश्राम पिता श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम के नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी।

मुहर — शपथकर्ती, मिनल मनोहर मेश्राम

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202107100900038
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
खुडमुडा प.ह.न.00005
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- अमित कुमार सिंह
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम खुडमुडा प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री अमित कुमार सिंह आ. प्रकाश सिंह निवासी शैलेन्द्रनगर रायपुर के द्वारा ग्राम खुडमुड़ा प.ह.न. 05 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 902 का भाग रकबा कुल 0.53 हे. भूमि को पंजीकृत बैनामा निष्पादन दिनांक 02.05.2017 क्रेता राजेश सोनकर आ. स्व. बैसाखूराम सोनकर निवासी पुरानी बस्ती रायपुर के पक्ष में विक्रय शुदा भूमि को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश छ.ग. के अधिनिर्णय दिनांक 21.02.2021 के परिपालन में अपने पक्ष में आवेदक पुनः अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने सहित आवेदन प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री अमित कुमार सिंह आ. प्रकाश सिंह द्वारा पंजीकृत बयनामा से उपरोक्त दर्शिता भूमि क्रेता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 31.07.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16.07.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202107100900035
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
फुण्डा प.ह.न. 00022(756(0.0600 हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- कमल नारायण शर्मा
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम फुण्डा प.ह.न. 22 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री कमल नारायण शर्मा पिता स्व. सहायता प्रसाद शर्मा निवासी चौहान टाउन जुनवानी रोड भिलाई द्वारा मौजा ग्राम फुण्डा प.ह.न. 22 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित मदन गोपाल पिता सहायता प्रसाद एवं वगै. के नाम दर्ज संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 756 रकबा 0.06 हे. में सहखातेदार मदन गोपाल, अनिल कुमार शर्मा पिता सहायता प्रसाद द्वारा अन्य खातेदार कमल नारायण पिता स्व. सहायता प्रसाद के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हकत्यागनामा दिनांक 09.02.2021 के आधार पर हकत्यागकर्ता मदनगोपाल अन्य का नाम खाते से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः श्री कमल नारायण शर्मा पिता स्व. सहायता प्रसाद शर्मा द्वारा पंजीकृत दानपत्र से उपरोक्त दर्शित भूमि दान प्राप्तकर्ता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 05.08.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.07.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202107100900037
विषयः अ-74 वर्ष 2020-21
लोहरसी प.ह.न.00020
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- महेश कुमार
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम लोहरसी प.ह.न. 20 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार ठाकुर पिता मनीराम ठाकुर निवासी लोहरसी द्वारा ग्राम लोहरसी प.ह.न. 20 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने एवं सहखातेदारों के नाम दर्ज संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 633, 636, 637 रकबा 0.01, 0.01, 0.01 हे. का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री महेश कुमार ठाकुर पिता मनीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 31.07.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16.07.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202107101000007
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
खेदामारा प.ह.न. 00016 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- श्रीमती सावित्री देवी
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सावित्री देवी पिता/पति लक्ष्मण सिंह साहू पता दुर्ग द्वारा ग्राम खेदामारा प.ह.न. 16 रा.नि.म. जामुल तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 453/7 रकबा 0.024 हे. है जो उसके पति लक्ष्मण सिंह साहू पिता परभूराम साहू के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी लक्ष्मण सिंह साहू पिता परभूराम साहू की मृत्यु को हो जाने के कारण मृतक का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 09.08.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19.07.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

वोरा ने भंडारगृह गोदामों का किया निरीक्षण

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं विधायक श्री अरुण वोरा ने महासमुंद में राज्य भंडारगृह निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एवं फोर्टिफाइड चावलों की गुणवत्ता जॉची। विधायक श्री वोरा ने भंडारगृह की साफ-सफाई एवं फ्यूमिगेशन का जायजा लिया। शाखा प्रबंधक श्री आर.एस. नयन ने बताया कि महासमुंद ब्रांच की यूटिलाइजेशन 100 फीसदी होने के कारण भंडारगृह की स्वनिर्मित क्षमता 49,960 मेट्रिक टन (एमटी) की है। इसके अलावा 1875 मेट्रिक टन का गोदाम भी किराए से लिया गया है। जिसे मिलाकर भंडारण की क्षमता बढ़कर 51 हजार 835 मेट्रिक टन की हो गयी है जिसमें से 20 हजार मेट्रिक टन पीडीएस एवं बाकी की क्षमता का उपयोग केंद्रीय पूल के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने उपस्थित लोगों को सरकार की उपलब्धियां के बारें में बताया। उन्होंने कहा कि भंडारगृह की क्षमता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है जिसके लिए पुराने गोदामों के संधारण के साथ ही नवीन गोदामों का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। खाद्य पदार्थों की जांच में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 14 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में मध्य भारत का पहला फूड टेस्टिंग लैब स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर पीडीएस राशन उपलब्ध करवाने प्रदेश भर में 1500 दुकान सह गोदामों का भी निर्माण स्वीकृत किया गया है।

निगम के अध्यक्ष श्री अरूण वोरा से भंडारगृह निगम के कर्मचारियों ने पॉवर स्प्रेयर एवं संस्था के संचालन के लिए इम्प्रेस्ट राशि बढ़ाई जाने का अनुरोध किया। कर्मचारियों के अनुरोध पर अध्यक्ष श्री वोरा ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का भरोसा दिया। महासमुंद पहुंचने पर संगठन पदाधिकारियों द्वारा भी विधायक वोरा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रवास के दौरान श्री वोरा ने विधायक एवं संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर, पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अग्नि चंद्राकर एवं संगठन पदाधिकारी डॉ रश्मि चंद्राकर, प्रकाश राव साकरकर आदि से मिलें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संगठन पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए श्री वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी अभूतपूर्व विकास कार्य एवं नवाचारी योजनाएँ चला रहें है।

युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर/नवप्रदेश। युवक के गले पर चाकू मारकर हत्या कर देने की रिपोर्ट गोलबाजार थाने में दर्ज करायी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार वीरभद्रनगर कैलाशपुरी चौक रायपुर निवासी सुमित तांडी 24 वर्ष पिता सुंदर तांड़ी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी अपने अपने चचेरा भाई भोला ताण्डी व रोहित सोना के साथ शराब दुकान में शराब खरीदकर पीने के बाद गोलबाजार गए थे। तभी मिराज दादा बैजनाथपारा रायपुर निवासी से विवाद हो गया। जिसके बाद उसने अपने पास रखा चाकू निकालकर भोला तांडी के गले पर वार कर दिया। जिसके बाद भोला ताण्डी घायल अवस्था में जान बचाने दौड़ता हुआ थाने पहुंच गया। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया।

जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण

ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों की घोषणा को ही माना जायेगा साक्ष्य

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब इन वर्गों के लोग ग्राम सभा या नगरीय निकाय से अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रावधानों के तहत नियमानुसर जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

न्यूज गैलरी

विस् अध्यक्ष डॉ. महंत ने ईद-उल-जुहा की प्रदेशवासियों को दी बधाई

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को ईद-उल-जुहा की मुबारकबाद दी।

विस् अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि, ईद उल अजहा यानी बकरीद इस?लाम धर्म को मानने वाले लोगों का प्रमुख त?योहार है। यह रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवनदान दे दिया उन?हीं की याद में यह पर्व मनाया जाता है। प्रेम भाईचारा, समर्पण के इस पर्व पर समस्त मुस्लिम समाज को बहुत बहुत बधाई। डॉ महंत ने कहा कि, कोरोना संक्रमण काल ने सभी तीज त्योहारों के उत्साह पर गहरा प्रभाव डाला है। ईद-उल-जुहा के इस पर्व पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, त्योहारों की खुशी पर कोरोना संक्रमण से बचाव का ध्यान अवश्य रखे।

प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 32 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। जांजगीर-चांपा, बस्तर और गरियाबंद जिले में ऐसे 8 प्रकरणों में 32 लाख रूपए की आर्थिक् सहायता स्वीकृत की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जांजगीर-चांपा जिले की चांपा तहसील के कोटाडबरी गांव की सुलोचना की मृत्यु अग्नि में जलने से और तहसील शक्ति के सकरेली ग्राम के उत्तम कुमार की मृत्यु सर्प के काटने से होने पर मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार से तहसील हसौद के ग्राम नगरीडीह के प्रदीप नारंग, तहसील पामगढ़ के ग्राम राहौद के कोमल चंद और सारागांव तहसील के रिसदा गांव के मुन्नालाल भैना की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से बस्तर की लोहण्डीगुड़ा तहसील के ग्राम तारागांव की बुटकी बाई की मृत्यु सर्पदंश और परमिला की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से तथा गरियाबंद जिले की छुरा तहसील के ग्राम कोठीगांव की नंदनी नेताम की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

तंत्र-मंत्र के जरिये रुपये 10 गुना करने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी

रायपुर/नवप्रदेश। तंत्र-मंत्र के जरिये रुपये डबल करने का झांसा देकर 5 लाख रुपये की ठगी करने वाले पति-पत्नी व साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार चारमिनार मजिस्द भोपाल निवासी राम ठाकुर 30 वर्ष ने राखी रायपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी जियो कंपनी में काम करता है। 1 माह पहले रेखा सिंह ठाकुर भिलाई निवासी ने पीड़ित के मोबाईल पर कॉल करके बोली की तुम्हारा पैसा तंत्र मंत्र से 10 गुना करना है तो रायपुर आ जाओं। प्रार्थी उसकी बातों में आकर अपने दोस्त कामील शंकर के साथ 28 जून 2021 को रायपुर के होटल में आकर रुका शाम 7 बजे रेख सिंह एवं उसके साथी नरेद्र सिंह,नीलेश सोनपीपरे पचपेड़ीनाका स्थित होटल में आये जिसके बाद आरोपियों ने अपनी सैलेरियों कार क्रमांक सीजी 07 बीएफ 1114 में लेकर नया रायपुर एचपी पेट्रोलपंप के आसपास के ईलाका में लाकर रकम को 10 गुना करने का डेमो दिखाया। प्रार्थी से 1000 रुपये लेकर कुछ तंत्र-मंत्र करके मटके से 15 हजार रुपये निकाला। जिसमें से 5000 रुपये पीड़ित को दिए तथा बाकी 10 हजार रुपये अपने पास रखा। जिसके बाद पीड़ित अपने दोस्त के साथ भोपाल लौट गया। 2-3 दिन के बाद फिर से रेखा सिंह फोन करके बोली की 25 लाख रुपये लेकर आओ उसको 10 गुना करवा दूंगी। जिसके बाद पीड़ित अपने दोस्तों से 5 लाख रुपये उधार लेकर अपने दोस्त के साथ 14 जुलाई को रायपुर पहुंचा। इस बार उसके साथ उसका दोस्त जितेन्द्र मेवाड़ साथ आकर एक होटल में ठहरा था।

निधन

गुरुचरण जी मोरयानी

दल्ली राजहरा/नवप्रदेश। लौह अयस्क नगरी के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं मधुर आलू भंडार के संचालक गुरुचरण जी मोरयानी का निधन आज रायपुर स्थित एम्स हॉस्पिटल में हो गया। उनके निधन पर परिचित मित्रगण एवं व्यवसायियों ने शोक व्यक्त कर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त मोरयानी परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने शिक्षा विभाग ने तैयार की कार्ययोजना

21 जुलाई से पाठ्य पुस्तक निगम के छह डिपो से वितरित होंगी पुस्तकें

रायपुर/नवप्रदेश। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग पर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा सीधे डिपो से पुस्तकें वितरित करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए अशासकीय विद्यालयों को कक्षा पहली से दसवीं तक हिन्दी और अंग्रेजी माध्यमों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के छह स्थायी पुस्तक भण्डार- रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर से किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का वितरण रविवार और अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में भी होगा। निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से जिले के विकासखण्डों में स्कूलों को पुस्तक वितरण करने का कार्य 21 जुलाई से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय स्कूलों को पुस्तक उपलब्ध कराने की विकासखण्डवार कार्ययोजना, डिपो प्रभारियों के नाम और मोबाइल नम्बर की जानकारी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। कार्ययोजना अनुसार निर्धारित तिथि पर यदि कोई अशासकीय विद्यालय पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने संबंधित डिपो में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय या विद्यालयों को कार्ययोजना पूर्ण होने के उपरांत तिथि निर्धारित कर पृथक से सूचित किया जाएगा। कार्ययोजना अनुसार निर्धारित तिथि पर डिपो द्वारा किन्ही कारणों या परिस्थितियों की वजह से यदि पाठ्य पुस्तकें प्रदाय (वितरण) नहीं की जा सकेंगी, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय या विद्यालयों को निर्धारित तिथि के अगले दिन पाठ्य पुस्तक प्रदाय की जाएगी।

अशासकीय स्कूलों की स्कूलवार जानकारी पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण शिक्षा सत्र 2019-20 में प्रदाय किए गए अशासकीय विद्यालयों की संख्या को कार्ययोजना में शामिल किया गया है। विद्यालयों की संख्या में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो उसकी जानकारी पाठ्य पुस्तक निगम मुख्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। विलंब की स्थिति में समस्त जवाबदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

टीकाकरण के कारण 50 से अधिक मवेशियों की हुई मौत : कौशिक

रायपुर/नवप्रदेश। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में करीब 50 मवेशियों की मौत के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आखिरकार ऐसे कौन से टीके मवेशियों को लगाए गए जिसकी वजह से करीब 50 मवेशियों की मौत हो गई। इस पूरे मामले के लिए कौन जिम्मेदार है? और अब तक किस तरह के जांच किए गए हैं।

जिससे स्पष्ट हो पाए कि मवेशियों की मौत किन कारणों से हुए है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रोका-छेका और गौठान के नाम पर पशुधन रक्षा के दिखावे का काम हो रहा है जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस तरह से एक साथ कई मवेशियों की मौत से उनके मालिकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने सवाल करते हुए कहा कि जो टीका मवेशियों को लगाई गई थी।

महिला एवं परिवार को टोनही कहने वाले आरोपियों को पुलिस का संरक्षण

अश्लील हरकत करने वालों का विरोध करने के बजाय गांव परिवार का ही कर रहा बहिष्कार

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार में अगर कोई शक्तिशाली आदमी नहीं है और परिवार केवल महिलाओं पर आधारित है तो वहां पर आसामाजिक तत्व न केवल महिलाओं से दुर्व्यवहार करते अपितु उनके घर में घुसकर उन्हें अपनी गंदी नियत का शिकार बनाते हैं, ऐसा ही एक मामला आज प्रेस क्लब रायपुर में चित्रकुमारी बंजारे उनकी बड़ी बहन देव लक्ष्मी बंजारे निवासी ग्राम पचरी पोस्ट नरतोरा, थाना पटेवा, जिला महासमुंद ने पहुंचकर प्रस्तुत किया। पत्रकारवार्ता में चित्र कुमारी ने बताया कि उनके आवास के हिस्से में झालर, कुलेश्वरी, पिरती एवं उसके बेटे गुलशन मन्नाडे ने संयुक्त रूप से महुआ, डिस्पोजल एवं अपशिष्ट गंदी सामग्री फेकी। आरोपियों को मना करने पर न केवल उन्होंने चित्रकुमारी अपितु उनकी बड़ी बहन के साथ अश्लिल व्यवहार किया। कपड़े फाड़े एवं प्राइवेट पार्ट को चाकू मारकर क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी। उक्त मामले में चित्र कुमारी के अनुसार उन्होंने थाने में जाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की बात कही तो वहां मौजूद टी.कुमारी चन्द्राकर ने आरोपियों का साथ देते उन्हे जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी दी।

पत्रकारवार्ता में बंजारे के अनुसार उक्त आरोपियों ने उन्हें टोनही एक्ट के तहत पूरे परिवार को टोनही करार देते हुए मामला दर्ज कराया है। गांव के प्रभावी लोग भी आरोपियों का साथ दे रहे हैं।

कोरोना की तीसरी लहर आने को, बाजारों में उमड़ रही भीड़

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना वायरस कोविड 19 विश्व व्यापी महामारी की तीसरी लहर से जहां विश्व के अनेक देश प्रभावित हुए है वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों के लिए गाइड लाइन जारी करते हुए कोरोना के संक्रमण से सभी देशों को अपने नागरिकों को बचाने के लिए अपील की है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रथम और द्वितीय लहर में दवा एवं टीकों के अभाव के कारण लाखों करोड़ों लोग असमय ही मृत्यु का शिकार हुए। तृतीय लहर में सभी देशों को संभलने का मौका मिला है। लापरवाही बरतने पर परिणाम घातक होंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अन्य जिलों में निवासरत लोगों ने तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करते हुए बाजारों में भीड़ लगाकर कोरोना पाजीटिव के संक्रमण को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले समय में लाकडाउन के रूप में आम जनता को भोगना पड़ सकता है।

एलआईसी ने शुरू की आरोग्य रक्षक पॉलिसी

रायपुर/नवप्रदेश। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 19 जुलाई 2021 से एलआईसी का आरोग्य रक्षक पेश किया है, जो एक गैर-लिंक्ड,अप्रतिभागी, नियमित प्रीमियम, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में समय पर सहायता प्रदान कर बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करती है।

आरोग्य रक्षक पॉलिसी में ÷एक व्यक्ति एक पॉलिसी÷ के तहत स्वयं प्रधान बीमित, अपने जीवन साथी, सभी बच्चों और माता-पिता का बीमा कर सकता है। यह योजना प्रधान बीमित/जीवन साथी/माता-पिता 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु और 91 दिन से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध है। प्रधान बीमित/ जीवनसाथी/ माता-पिता के लिए 80 वर्ष की आयु तक और बच्चों के लिए 25 वर्ष तक की अवधि के लिए कवर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.licindia.in पर या एलआईसी की किसी शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

आरोग्य रक्षक पॉलिसी देती है ये लाभ

1) चयन के लिए लचीली लाभ सीमा, 2) लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्प, 3) अस्पताल में भर्ती होने,सर्जरी आदि के मामले में बहुमूल्य वित्तीय सुरक्षा
4) वास्तविक चिकित्सा लागत पर निरपेक्ष एक मुश्त लाभ
5) ऑटो स्टेप अप बेनिफिट और नो क्लेम बेनिफिट के माध्यम से स्वास्थ्य कवर बढ़ाना
(यदि एक से अधिक सदस्य पॉलिसी के अंतर्गत निहित है, तो मूल प्रधान बीमित व्यक्ति अर्थात पॉलिसी के प्रारंभ में पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में अन्य बीमित व्यक्तियों के लिए प्रीमियम में छूट)
6) कुछ बड़े सर्जिकल लाभ हेतु सीमित की श्रेणी ढ्ढ या श्रेणी ढ्ढढ्ढ के अंतर्गत आने वाली किसी भी सर्जरी की स्थिति में 1 वर्ष के लिए प्रीमियम छूट हित लाभ, 7) एंबुलेंस हितलाभ 8) स्वास्थ्य जांच हितलाभ, 9) योजना के तहत उपलब्ध वैकल्पिक अनुवृद्धि- एलआईसी की नई अवधि बीमा अनुवृद्धि (यूआईएनः 512बी 210 वी01), एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ अनु वृद्धि (यूआईएनः 512बी203वी03)।

बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रिय कार्यालय ने बिलासपुर में मनाया 114वाँ स्थापना दिवस

रायपुर/नवप्रदेश। भारत के सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी स्थापना के 113 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपने 114वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तत्कालीन देना बैंक और विजया बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। देश भर में जनता की सेवा करने वाली 8214 शाखाएँ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 19 देशों में 96 कार्यालय हैं जो एक बड़े वैश्विक उपस्थिति वाले बैंक के दावे पर मुहर लगाते हैं। बिलासपुर क्षेत्र में ही 12 जिलों में 50 शाखाएँ हैं जो एक विस्तृत क्षेत्र और यहाँ कि व्यापक आबादी की सेवा करती हैं। ग्राहकों को विश्व स्तरीय बैंकिंग उत्पाद प्रदान करना बैंकों का आदर्श वाक्य और लक्ष्य रहा है। बैंक विभिन्न जमा और ऋण योजनाएं प्रदान करने का प्रयास करता है जो सभी कि जरूरतो को पूरा करती हैं और बाजार में अग्रणी है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट उद्योग जगत में अग्रणी है और इसने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बैंकों के 114वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर क्षेत्र ने बैंक की सीएसआर गतिविधियों के बैनर तले पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय परिसर, बिलासपुर में वृक्षारोपण का आयोजन किया है. वृक्षारोपण की अध्यक्षता बिलासपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बरुन मेहर और बिलासपुर क्षेत्र के उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार यादव ने की।

पं. सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव डॉ बंश गोपाल सिंह सहित आसपास की शाखाओं के कर्मचारी भी मौजूद थे।

परिणाम रोजगार मूलक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी: मंत्री डॉ. टेकाम

छग संस्कृत विद्यामण्डलम् कक्षा 11वीं, 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित

रायपुर/नवप्रदेश। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2020-21 की उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (कक्षा 11वीं और 12वीं) का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घरों में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रदाय कर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

मंत्री डॉ.टेकाम ने उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् आगामी शिक्षण सत्र से रोजगार मूलक पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम- पौराहित्यम् (पुरोहिती), आयुर्वेद, योगदर्शनम्, प्रवचनम् और ज्योतिष शास्त्रम् शुरू करेगा। इस संबंध में संस्कृत विद्यामण्डलम् को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश 11 जून 2021 को संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 9वीं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और कक्षा 10वीं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करते समय दिए गए थे। संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पांचों डिप्लोमा का पाठ्यक्रम तैयार कर परीक्षण हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को भेजा गया है। परीक्षण उपरांत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा।

संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 11वीं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 814 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 499 बालक और 315 बालिकाएं हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 629 विद्यार्थी शामिल हुए, इनमें 367 बालक और 262 बालिकाएं हैं। सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 479 बालक एवं बालिकाएं प्रथम श्रेणी, 150 बालक और बालिकाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सर्वाधिक अंक 94.07 प्रतिशत रहा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक संचालक श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू, दुग्धाधारी मठ के प्राचार्य श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा सहित संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारी भी उपस्थित थे।

संपादकीय

अश्लीलता रोकने कड़े कानून जरूरी

बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता की भरमार होने लगी है। ऐसी वाहियात फिल्में बनने लगी है जिन्हे परिवार के साथ बैठ के देख पाना असंभव हो गया है। अब तो वेब सीरीज के नाम पर खुली नंगाई की जा रही है। हद तो तब हो गई जब चर्चित फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में आ गए। खुद को कारोबारी बताने वाले राज कुंद्रा लंबे समय से यह गंदा खेल खेल रहे थे और मोटा माल कमा रहे थे। अब राज कुंद्रा और उनके गिरोह के कई लोग कानून की पकड़ में आएं है लेकिन वे सभी सस्ते में छूट जाएंगे। दरअसल गंदी फिल्में बनाने और उसका कारोबार करने वाले लोगों के लिए अधिकतम पांच साल की सजा का ही प्रावधान है जबकि समाज में गंदगी फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए तभी ऐसे लोगों के मन में कानून का खौफ पैदा होगा। हिंसा और अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही न होने का ही यह दुष्परिणाम है कि हिन्दी फिल्मों और ब्लू फिल्मों के बीच अंतर कम होता जा रहा है। केन्द्रिय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा फिल्म सेंसर बोर्ड आखिर किसी मर्ज की दवा है जो इन पर रोक नहीं लगा पा रहे है। अब तो दर्शकों को ही बॉलीवुड के गंदे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा और उनकी फिल्मों और वेब सीरीजों का बहिष्कार करना होगा। राज कुंद्रा प्रकरण के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि केन्द्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगा और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा और अश्लीलता परोसने वाले फिल्मकारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करने कठोर कानून बनाने पर विचार करेगा।

विचार

सरकारी जासूसी पर हंगामा

हमारी संसद के दोनों सदन पहले दिन ही स्थगित हो गए। जो नए मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री उनका परिचय भी नहीं करवा सके। विपक्षी सदस्यों ने सरकारी जासूसी का मामला जोरों से उठा दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के लगभग 300 नेताओं, पत्रकारों और जजों आदि पर जासूसी कर रही है। इन लोगों में दो केंद्रीय मंत्री, तीन विरोधी नेता, 40 पत्रकार और कई अन्य व्यवसायों में लगे लोग भी शामिल है। यह जासूसी इस्राइल की एक प्रसिद्ध कंपनी के सॉफ्टवेयर 'पेगासस' के माध्यम से होती है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सरकार देश के महत्वपूर्ण लोगों के ई-मेल, व्हाट्साप और संवाद सुनती है। यह रहस्योदघाटन सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं हुआ है। इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 40 देशों की संस्थाएं कर रही हैं। यह जासूसी लगभग 50,000 लोगों पर की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर को बनानेवाली कंपनी एनएसओ ने दावा किया है कि वह अपना यह माल सिर्फ संप्रभु सरकारों को ही बेचती है ताकि वे आतंकवादी, हिंसक, अपराधी और अराजक तत्वों पर निगरानी रख सकें। इस कंपनी के रहस्यों का भांडाफोड कर दिया फ्रांस की कंपनी 'फारबिडन स्टोरीज़' और 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने। इन दोनों संगठनों ने इसकी भांडाफोड़ खबरें कई देशों के प्रमुख अखबारों में छपा दी हैं। भारत में जैसे ही यह खबर फूटी तहलका-सा मच गया। अभी तक उन 300 लोगों के नाम प्रकट नहीं हुए है लेकिन कुछ पत्रकारों के नामों की चर्चा है। विरोधी नेताओं ने सरकार पर हमला बोलना शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से यह सिद्ध हो गया है कि मोदी-राज में भारत 'पुलिस स्टेट' बन गया है। सरकार अपने मंत्रियों तक पर जासूसी करती है और पत्रकारों पर जासूसी करके वह लोकतंत्र के चौथे खंबे को खोखला कर रही है। सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसने कहा है कि पिछले साल भी 'पेगासस' को लेकर ऐसे आरोप लगे थे, जो निराधार सिद्ध हुए थे। नए सूचना मंत्री ने संसद को बताया कि किसी भी व्यक्ति की गुप्त निगरानी करने के बारे में कानून-कायदे बने हुए हैं। सरकार उनका सदा पालन करती है। 'पेगासस' संबंधी आरोप निराधार हैं। यहां असली सवाल यह है कि इस सरकारी जासूसी को सिद्ध करने के लिए क्या विपक्ष ठोस प्रमाण जुटा पाएगा ? यदि ठोस प्रमाण मिल गए और सरकार-विरोधी लोगों के नाम उनमें पाए गए तो सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी जाएगी। यों तो पुराने राजा-महाराजा और दुनिया की सभी सरकारें अपना जासूसी-तंत्र मजबूती से चलाती हैं लेकिन यदि उसकी पोल खुल जाए तो वह जासूसी-तंत्र ही क्या हुआ ? जहां तक पत्रकारों और नेताओं का सवाल है, उनका जीवन तो खुली किताब की तरह होना चाहिए। उन्हें जासूसी से क्यों डरना चाहिए ? वे जो कहें और जो करें, वह खम ठोककर करना चाहिए।

टेक ज्ञान-

25 जुलाई से शुरू हो रही Flipkart Sale,

नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल 25 जुलाई को शुरू होगी जो 29 जुलाई तक चलेगी। फ्लिपकार्ट की इस सेल में आपको कई स्मार्टफोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज़ पर कई खास डील्स और डिस्काउंट मिलेंगे। वहीं फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर इस सेल का 24 जुलाई से यानी एक दिन पहले से आनंद ले सकेंगे।

संसद में हंगामा करके नहीं बनेगी विपक्ष की बात

राजेश माहेश्वरी

> लोकसभा में मोदी सरकार के पास भारी बहुमत होने से सदन को चलते रहने देने में ही विपक्ष का फायदा है। राज्यसभा में भी भले ही सत्ता पक्ष के पास अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं है किन्तु विपक्ष में तालमेल न होने से सरकार अपना काम आसानी से निकाल ले जाती है। सदन के संचालन में फ्लोर मैनेजमेंट नामक शब्द का काफी प्रयोग होता है। सामान्यतः ये काम सत्ता पक्ष करता है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जब विपक्ष के कमजोर होते जाने से आम जनमानस भी चिंतित है तब सदन के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उसको गंभीरता से प्रयास करना चाहिए क्योंकि संसद ही वह मंच है जहाँ कही गई कोई भी बात देश ही नहीं दुनिया में भी सुनी जाती है। विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों की महत्ता से इन्कार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को सदन से परिचित कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक परंपरा है और संसद को अपनी परंपराओं के पालन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र का पहला दिन पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को नये मंत्रिमंडल तक का परिचय भी नहीं कराने दिया। वहीं दूसरे दिन भी हंगामे से शुरूआत हुई, और संदन को स्थगित करना पड़ा।ये हालात तब हैं जब स्वंय प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं, कह चुके हैं कि सदस्य तीखे से तीखे सवाल पूछें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। वहीं सत्र के दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर ने भी हंगामा कर रहे सदस्यों को कहा कि, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। बावजूद इसके हंगामा कम नहीं हुआ और कार्यवाही में बाधा पैदा की गई। विपक्ष संसद में हंगामा करने को शायद अपनी जीत मान रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष की असली जीत संसद में मुद्दे उठाने और बहस करने में है। कोरोना महामारी के समय संसद का मानसून सत्र चलना अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में विपक्ष का यूं हंगामा करके संसद का बहुमूल्य समय खराब करना कहां की समझदारी कहा जाएगा।

देखा जाए तो विपक्ष के पास अपने सवालों के जरिये सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। कोरोना महामारी, किसान आंदोलन, मंहगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद टीकाकरण का लक्ष्य से पीछा रहना, राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव आदि ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को रक्षात्मक किया जा सकता है। जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिन पर सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिएं। लेकिन विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इधर-उधर के मुद्दों पर शोरगुल कर असली मुद्दों को उठाने से न जाने क्यों बच रहा है। सत्र के पहले दिन फोन जासूसी मामले का शोर खूब सुनाई दिया। हालांकि खबरें यही कहती हैं कि पेगासस के जरिये जासूसी करने की कोशिश की गई और यह स्पष्ट नहीं कि इसमें सफलता मिली या नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी सुविधा के लिए इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि चुनिंदा लोगों के मोबाइल फोन की जानकारी हासिल की गई अथवा उनकी बातें गोपनीय रूप से सुनी गईं। बेहतर हो कि इस मामले को उछालने वाले पहले इस बारे में सुनिश्चित हो लें कि जासूसी की गई या नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मुद्दों मानूसन सत्र में उठाकर सिर्फ राजनीति चमकाई जा सकती है, इससे देश की जनता का भला नहीं किया जा सकता, ये विपक्ष को समझना चाहिए। लेकिन राजनीति और एजेण्डे के तहत इसी मुद्दे पर विपक्ष संसद का समय तो गंवा ही रहा है, वहीं जनहित के मुद्दों को भी नहीं उठा रहा है।

2014 में मोदी सकार बनने के बाद से ये देखने में आया है कि विपक्ष या तो सदन को चलने नहीं देता या फिर विरोध स्वरूप उठकर बाहर चला जाता है। उसके ऐसा करने से सरकार को आसानी हो जाती है। इसलिए जितना भी समय मिले उसका वह चर्चा के लिए उपयोग करे तो अपनी बात देश के सामने रखते हुए सरकार को घेर सकता है। हंगामें के कारण सदन स्थगित हो जाने से विपक्ष के तीर तरकश में ही रखे रह जाते हैं। यही बहिर्गमन के साथ होता है जो संसदीय प्रणाली में विरोध प्रदर्शन का बहुत ही प्रचलित तरीका रहा है किन्तु जरूरत से ज्यादा उपयोग होने से वह असरहीन होकर रह जाता है।

लोकसभा में मोदी सरकार के पास भारी बहुमत होने से सदन को चलते रहने देने में ही विपक्ष का फायदा है। राज्यसभा में भी भले ही सत्ता पक्ष के पास अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं है किन्तु विपक्ष में तालमेल न होने से सरकार अपना काम आसानी से निकाल ले जाती है। सदन के संचालन में फ्लोर मैनेजमेंट नामक शब्द का काफी प्रयोग होता है। सामान्यतः ये काम सत्ता पक्ष करता है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जब विपक्ष के कमजोर होते जाने से आम जनमानस भी चिंतित है तब सदन के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उसको गंभीरता से प्रयास करना चाहिए क्योंकि संसद ही वह मंच है जहाँ कही गई कोई भी बात देश ही नहीं दुनिया में भी सुनी जाती है।

विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों की महत्ता से इन्कार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को सदन से परिचित कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक परंपरा है और संसद को अपनी परंपराओं के पालन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'परंपराओं को न तोड़ें. आप लंबे समय तक शासन में रहे हैं. आप परंपरा को तोड़कर सदन की गरिमा को कम नहीं करें. इस सदन की गरिमा को बनाए रखें...प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं और फेरबदल के बाद मंत्रिपरिषद का परिचय करा रहे हैं। आप सदन की गरिमा को बनाए रखें।' बावजूद इसके विपक्ष हंगामा करता रहा। देखा जाए तो इस परंपरा के निर्वहन के बाद विपक्ष अपनी बात कहता तो कोई देर या अंधेर होने वाली नहीं थी। मंत्रियों का परिचय नहीं होने देने पर प्रधानमंत्री ने भी विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से भारत का संसद भी अछूता नहीं रह पाया है। संसद के पिछले तीन सत्रों को बीच में ही समाप्त करना पड़ा जबकि इस महामारी के कारण 2020 का पूरा शीतकालीन सत्र रद्द कर देना पड़ा था। संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वूपर्ण है। जिसे विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ाकर बर्बाद करने पर तुला है। मॉनसून सत्र में सरकार आधा दर्जन अध्यादेश, नौ लंबित बिल और कम से कम 15 नए बिल लाने की तैयारी कर रही है। सरकार डीएनए प्रौद्योगिकी, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कानून, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और न्यायाधिकरण सुधार से जुड़े विधेयक पारित करवाने की कोशिश करेगी।

खुद्दारी की मिसाल थी सुरेखा सीकरी

योगेश कुमार गोयल

> परदे पर अक्सर सख्त मिजाज दिखने वाली सुरेखा असल जिंदगी में बेहद खुशमिजाज थी। लोग अक्सर उनकी खुद्दारी की मिसाल दिया करते थे। उनके जीवन में कुछ ही समय पहले ऐसा दौर भी आया, जब उनके पास कोई काम नहीं था। तब अफवाहें भी उड़ी कि सुरेखा की आर्थिक हालत बहुत खराब है और उन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे समय में बॉलीवुड से जुड़े कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे भी आए लेकिन अपनी खुद्दारी के लिए विख्यात सुरेखा ने आर्थिक मदद लेने से इन्कार कर दिया और साफशब्दों में कहा कि उन्हें पैसे देने के बजाय काम दिया जाए. जिसे वह सम्मानपूर्वक करना चाहती हैं। दरअसल कोरोना के चलते 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर लगी पाबंदियों को लेकर वह काफी नाराज थी और एक अवसर पर उन्होंने कहा भी था कि वह इस तरह घर पर बैठकर अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती और लोगों के बीच कोई गलत धारणा भी नहीं डालना चाहती कि मैं भीख मांग रही हूं बल्कि मैं काम करने में सक्षम हूं और चाहती हूं कि मुझे काम दिया जाए।

लोकप्रिय टीवी शो 'बालिका वधू' सहित कई बड़े टीवी धारावाहिकों तथा बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रही जानी-मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से 16 जुलाई को 75 साल की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2018 में उन्हें पैरालाइटिक स्ट्रोक आया था और 2020 में दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। बॉलीवुड से लेकर छोटे परदे तक अपना सिक्का चलाने वाली यह दिग्गज अभिनेत्री अभिनय की दुनिया में 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक निरन्तर सक्रिय रही और दमदार अभिनय के लिए उन्हें अपने जीवनकाल में तीन बार 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें 1988 में आई फिल्म 'तमस' के लिए, दूसरा 1995 में फिल्म 'मम्मो' के लिए और तीसरा 2018 में आई फिल्म 'बधाई हो' के लिए मिला था। इनके अलावा उन्हें एक फिल्मफेयर अवार्ड, एक स्क्रीन अवार्ड और छह इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुए। हिन्दी थिएटर में उल्लेखनीय योगदान के चलते उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया था। आयुष्मान खुराना अभिनीत सुपरहिट फिल्म 'बधाई हो' में सुरेखा ने दुर्गा देवी कौशिक नामक दादी का यादगार किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और यह पुरस्कार लेने वह व्हील चेयर पर पहुंची थी। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने कहा था कि इनाम मिलते हैं तो किसे खुशी नहीं होती लेकिन तब और ज्यादा खुशी होती, अगर मैं अपने पैरों पर खड़े होकर यह पुरस्कार ले पाती। फिल्म में गजराज राव और नीना गुप्ता ने उनके बेटे और बहू का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने जीतू (गजराज राव) की मां और नकुल (आयुष्मान खुराना) की दादी का ऐसा रोल निभाया था, जो सदैव अपनी बहू से मनमुटाव रखती थी लेकिन एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर वह उसी बहू के पक्ष में उठ खड़ी होती है, जब अधेड़ उम्र की उनकी बहू की नज़दीकी रिश्तेदार इस बात के लिए आलोचना कर रहे होते हैं कि वह इस ढ़लती उम्र में मां बनने जा रही है।

वैसे तो एक्टिंग की दुनिया की सबसे मंझी हुई खिलाड़ियों में शुमार सुरेखा ने अपने बहुत लंबे अभिनय कैरियर में थियेटर, फिल्मों तथा टीवी में एक से बढ़कर एक दमदार रोल किए और 1978 में इमरजेंसी पर बनी फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से डेब्यू किया था लेकिन उन्हें घर-घर में सबसे बड़ी पहचान दिलाई थी टीवी धारावाहिक 'बालिका वधू' ने, जिसमें उन्होंने सख्तमिजाज 'दादी-सा' (कल्याणी देवी) का ऐसा किरदार निभाया था, जिसने उन्हें घर-घर की दादी-सा बना दिया था। यह सीरियल 'कलर्स' टीवी चैनल पर 2008 से 2016 तक ऑन एयर रहा। उनकी चर्चित फिल्मों में 'सरफरोश', 'नसीम', 'नजर', 'सरदारी बेगम', 'दिल्लगी', 'जुबैदा', 'रेनकोट', 'शीर कोरमा', 'घोस्ट स्टोरीज', 'देव डी', 'सलीम लंगड़े पे मत रो', 'तमस', 'मम्मो', 'हरी-भरी', 'मिस्टर एंड मिसेज अय्यर', 'तुमसा नहीं देखा' प्रमुख थी जबकि लोकप्रिय सीरियल्स में 'परदेस में है मेरा दिल', 'महाकुंभः एक रहस्य, एक कहानी', 'सात फेरेः सलोनी का सफर', 'केसर', 'बनेगी अपनी बात', 'एक था राजा एक थी रानी', 'कभी कभी', 'जस्ट मोहब्बत' इत्यादि शामिल हैं। 'मम्मो' में फय्याजी और 'सलीम लंगडे पे मत रो' में अमीना का उनका निभाया किरदार लोग कभी नहीं भूले। निर्देशक जॉन मैथ्यू मैथन उन्हें अपनी फिल्म 'सरफरोश' के जरिये व्यावसायिक सिनेमा में लेकर आए, जिसमें वह सुल्तान की मां बनी थी। आखिरी बार उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जोया अख्तर की फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' में देखा गया, जिसमें जाह्नवी कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था। सुरेखा ने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कुछ मलयालम फिल्मों में भी काम किया।

वर्ष 1945 में उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा अल्मोड़ा और नैनीताल में पली-बढ़ी। उनके पिता एयरफोर्स में और माता शिक्षिका थी। लीक से हटकर काम करना पसंद करने वाली सुरेखा फिल्मों में आने से पहले लेखक और पत्रकार बनना चाहती थी लेकिन किस्मत को उनका अभिनेत्री बनना ही मंजूर था। उन्होंने 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से ग्रेजुएशन किया था। वैसे उनके एनएसडी पहुंचने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वास्तव में सुरेखा की छोटी बहन अभिनेत्री बनना चाहती थी और इसीलिए वह एनएसडी का दाखिला फॉर्म लेकर आई थी लेकिन जब बहुत जल्द उसके सिर से एक्टिंग का भूत उतर गया तो परिवार के सदस्यों की सलाह पर सुरेखा ने वह फॉर्म भर दिया और उनका दाखिला एनएसडी में हो गया। उसके बाद सुरेखा ने अभिनय की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी शादी हेमंत रेगे से हुई थी, जिनका करीब 12 वर्ष पूर्व 20 अक्तूबर 2009 को हार्ट फेल होने के कारण निधन हो गया। परदे पर अक्सर सख्त मिजाज दिखने वाली सुरेखा असल जिंदगी में बेहद खुशमिजाज थी। लोग अक्सर उनकी खुद्दारी की मिसाल दिया करते थे। उनके जीवन में कुछ ही समय पहले ऐसा दौर भी आया, जब उनके पास कोई काम नहीं था। तब अफवाहें भी उड़ी कि सुरेखा की आर्थिक हालत बहुत खराब है और उन्हें मदद की जरूरत है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

सुब्ह की पहली

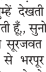

सुब्ह की पहली किरण से तुम जब जब मुझमें उतरते हो मैं भी तुम्हारे रंग रंगी नभ तक उड़ कर आती हूँ धरती सी तुम्हें देखती हर रंग तुम्हारा अपनाती हूँ,, सुनो उगते हुए से तुम भी तो सूरजवत शीतल लगते हो ऊर्जा से भरपूर तुम ऊर्जान्वित मुझको करते हो काश तुम सुब्ह बन ठहर जाते और मेरे ये रंग निखर जाते। **- शुचि 'भवि'**

खतरों के खिलाड़ी

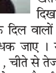

खतरों के खिलाड़ी में चिकने चुपड़े प्रतिभागी ऐसे ऐसे खतरु आयटम दिखाते की सच्ची नाजुक दिल वालों का तो करेजा ही धधक जाए । साँप बिच्छू से लड़ाई , चीते से तेज दौड़ाई , इशी मम्मा प्रेरणा भौजाई । एक से एक खतरु आइटम । पर सच्ची कहूं वास्तविक जीवन मे इनके पीछे गली खोपचे का एक पपी ही लपक ले ना तो ये खुद को बचा न पाए। **- राजीव वर्मा**

खास पाती

ऐसे राजनैतिक दलों का

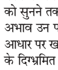

ऐसे राजनैतिक दलों का बोझ जनता क्यों उठाती है जो सत्ता में होते हैं तब भ्रष्टाचार कर जनता को नुक्सान पहुंचाते हैं और जब विपक्ष में हैं तो जनता के बीच अफवाह फैला कर व संसद में हंगामा कर देश को दिग्भ्रमित कर विकास के काम में अवरोध पैदा करते हैं। संसद जहां सरकार सच्चाई बयां करती है को सुनने तक नहीं देते। बहुत आश्चर्य का विषय है ऐसी रचनात्मकता का अभाव उन पार्टियों में जो अपने को जनता का हितैषी कहती हैं ये किस आधार पर खड़ी हैं? जनता के निहित स्वार्थ को हवा देकर या चंद नेताओं के दिग्भ्रमित करने के जादू के चलते ? **- नवीन शंकर शर्मा**

मीत बिना सूनी लगती है

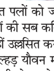

मीत बिना सूनी लगती है जीवन की चौपाल। जीना हुआ मुहाल।। नहीं देह में रही ताज़गी, तबियत लगती ढीली। नम कर देती हैं सपनों को, आँखें सीली-सीली। विगत पलों को जीवित करतीयादों की टक्साल।। खिलने से पहले मुरझाईंभावों की सब कलियाँ। रूठ गई है मन की हलचल, सूनी दिल की गलियाँ। नहीं उल्लसित कर पाते हैं, ठुमरी और खयाल।। उखड़ी साँसें ढूँढ रही हैं, अल्हड़ यौवन मस्ती। सूनी आँखें क्षितिज निहारें, छोड़ चली हैं बस्ती। बेमानी से लगते सारे, उलझे हुए सवाल। **- डॉ बिपिन पाण्डेय**

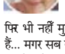

उन्हें कहा जाता है आज़ाद हो

उन्हें कहा जाता है आज़ाद हो तुम मगर उनका उड़ना फिर भी नहीं मुमकिन एक जादूई झाँसा है ज़िंदगी का अनगिनत बेड़ियाँ हैं... मगर सब की सब अदृश्य एक और अजीब बात है जिंदगी भेद नही करती स्त्री- पुरूष में उसके झाँसे में दोनों आ जाते हैं। **- सरिता त्रिवेदी**

दिन निकला तो याद आई

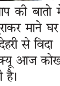

दिन निकला तो याद आई वो बात जो अक्सर माँ कहती थी। सूरज की किरणों संग घर आती लक्ष्मी। बेटी जब देहरी पर रंगोली बनाती थी। होती थी दुआ माँ-बाप की बातो में। बेटी जब चाय बनाकर लाती थी। हर बात मुस्कुराकर माने घर की शोभा । प्यारी बेटी सरस्वती सी लगती थी। जब देहरी से विदा हुई बाबुल के घर की। खुशहाली इस घर की माँगती थी। क्यू आज कोख में मॉर दी जाती है। बेटी क्यू आज बोझ सभी को लगती है। **- सविता वर्मा गजल**

इन दिनों मैं ख्वाबों को उकेरती

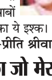

इन दिनों मैं ख्वाबों को उकेरती हूँ सजाती हूँ बुनती भी हूँ ये मेरे हैं मेरे ही तो है टूटेगा बिखरेगा फिर संवरेगा ख्वाबों के कई रंग है और मुझे रंगों से इश्क है है ना कमाल का ये इश्क। **-प्रीति श्रीवास्तव**

एक टुकड़ा ज़िंदगी का जो मेरा

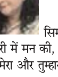

एक टुकड़ा ज़िंदगी का, जो मेरा और तुम्हारा भी, सिमटा यादों में बिखरी, खोया तुमको पाया भी। बंद तिजोरी में मन की, अनमोल नगीने सा रौशन, छू न सकेगा कोई उसको, बस मेरा और तुम्हारा ही। **- मधु शर्मा कटीहा**

ना मैं बदला हूं ना मेरा किरदार

ना मैं बदला हूं ना मेरा किरदार बदला हैं, ना जमीं बदली ना ही जमींदार बदला हैं।मुझे तो कल पता चला जो मिला राह में, जमां बदला नहीं वो तो मेरा यार बदला हैं। **- संजय सिंह राजपूत**

QUIZ TIME

1) क्रिकेट के आधुनिक संस्करण 'सुपरमैक्स क्रिकेट' में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक-एक पारी के लिये कितना समय निर्धारित है?
2) राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
3) भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है?
4) गणतंत्र दिवस परेड 2021 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया था?
5) रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक कौन थे?

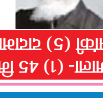

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) 45 मिनट (2) जमशेदपुर (3) यमुना (4) उत्तराखंड (5) दादाभाई नौरोजी

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1883- कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थियेटर की शुरुआत हुई। 1884- लॉर्डस के मैदान पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। 1888- ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए। 1904- 13 वर्ष तक चले निर्माण कार्य के बाद रूस में 4607 किलोमीटर लम्बी ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन का काम पूरा हुआ। 1940- सोवियत संघ ने एस्टोनिया लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया। 1951- भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चंदू बोर्डे का जन्म। 1960- श्रीलंका 'तब सीलोन' में सिरिमावो भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। 1962- भारत चीन के बीच सीमा पर युद्ध। 1963- काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1972- भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांग्चुक का निधन । 1978- वॉलीबुड अभिनेता आशीष चौधरी का जन्म। 1988- भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 'इनसैट-1सी' का प्रक्षेपण। 2007- वाशिंगटन में चार दिन के विचार-विमर्श के बाद भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया। 2007- प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं। 2008- नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय मूल के रामबरन यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2009- भारतीय शास्त्रीय संगीत' की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का निधन.ब 2013- बेल्जियम के महाराज अल्बर्ट द्वितीय ने बेटे फिलिप की ताजपोशी के लिए राजगद्दी छोड़ी।

राज कुंद्रा के पुराने ट्वीट्स वायरल

मुंबई। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्न रैकेट से कनेक्शन के चलते सुर्खियों में हैं। 19 जुलाई सोमवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास राज के खिलाफ काफी सबूत हैं। इस बीच राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। वहीं राज कुंद्रा के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। इन ट्वीट्स में उन्होंने पोर्न और प्रोस्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। सोशल मीडिया पर वायरल ट्वीट्स 2012 के हैं। इन ट्वीट्स में राज ने सवाल उठाया था कि पोर्न प्रोस्टिट्यूशन से अलग कैसे है। उन्होंने लिखा है, ठीक है तो पोर्न वर्सस प्रोस्टिट्यू। कैमरे पर सेक्स करने के लिए किसी को पे करना लीगल कैसे है ये एक-दूसरे से अलग कैसे हुए एक और वायरल ट्वीट में लिखा है, भारतः ऐक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिशंस पोर्न देख रहे हैं और पोर्न स्टार्स ऐक्टर्स बन रहे हैं...! राज कुंद्रा को सोमवार रात 8:00 गिरफ्तार किया गया इसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। राज कुंद्रा ने रातभर मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में बिताई।

ओटीटी पर होगी रिलीज 'मस्तानी'

मुंबई (वार्ता)। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई अवार्ड जीत चुकी हैदर काजमी की फिल्म 'जिहाद' ईद के अवसर पर 21 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म 'मस्तानी' पर रिलीज होगी।ओटीटी प्लेटफॉर्म मस्तानी के फाउंडर और फिल्म जिहाद के अभिनेता हैदर काजमी ने बताया कि इस फिल्म की रिलीज का सभी को इंतजार है। जिहाद कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अपने जलवे दिखा चुकी है।उन्होंने बताया कि कि आज जिहाद शब्द को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है, उसी को साफकरने के लिए 'जिहाद' नाम से हमने फिल्म बनाई है। वास्तव में जिहाद को आतंकवाद से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन सभी जिहाद के असल मतलब से अंजान है, जो हम इस फिल्म के जरिये लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के क्रोध और शैतान को मारना, ना कि इसके नाम पर बंदूक उठाकर बेकसूर लोगों को मारना।

सोनाक्षी ने हॉरर फिल्म 'ककुड़ा' की शूटिंग शुरू की

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी आने वाली फिल्म 'ककुड़ा' की शूटिंग शुरू कर दी है। हॉरर-कॉमेडी 'ककुड़ा' की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा,रितेश देशमुख और साकिब सलीम नजर आएंगे। 'ककुड़ा' आदित्य सरपोतदार की बतौर निर्देशक हिंदी में पहली फिल्म है। आदित्य इससे पूर्व मराठी फिल्में 'क्लासमेट्स', 'मौली' और 'फास्टर फेने' बना चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, ÷मौजूदा हालात को देखते हुए एक मजेदार कॉमेडी फिल्म वास्तव में समय की जरूरत है।मुझे 'ककुड़ा' की स्क्रिप्ट पढ़ते ही पसंद आ गई थी। यह उस तरह की फिल्म है जिसे मैं दर्शकों के रूप में देखना पसंद करूंगी। रितेश देशमुख ने कहा,÷मैं सोनाक्षी और साकिब के साथ फिल्म में काम करने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे व्यक्तिगत रूप से हॉरर-कॉमेडी शैली पसंद है और 'ककुड़ा' मेरे लिए एक घोस्टबस्टर का हिस्सा तलाशने का एक शानदार अवसर है। साकिब सलीम ने कहा,÷एक बेहतरीन पटकथा, एक प्रतिभाशाली निर्देशक, एक सहायक निर्माता और बेहद प्रतिभाशाली सह-कलाकार, एक फिल्म में और क्या मांग सकते हैं। निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने कहा, हम फिल्म को किसी बड़े पैमाने की कॉमर्शियल फिल्म से कम नहीं मान रहे हैं। कास्टिंग बिल्कुल सही है और फिल्म की कहानी आपको हंसाने के साथ ही कई बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी।

मौनी रॉय ने ब्लैक ट्रांसपैरंट टॉप में दिखाए कातिलाना डांस मूव्स

नई दिल्ली। टीवी की 'नागिन' से बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकीं एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं। वहीं, हाल ही में मौनी एक बार फिर से कुछ ऐसे ही कारणों से चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपने सोशल एकाउंट पर एक बेहद हॉट वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो ब्लैक रंग के ट्रांसपैरंट टॉप में दिखाई दे रही हैं और वो इस रिवीलिंग आउटफिट में कातिलाना डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं। मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वो ब्लैक सेक्सी आउटफिट पहने बोल्ड अदाएं दिखा रही हैं। इस वीडियो को देखकर मालूम होता है कि ये उनके किसी फोटोशूट के दौरान लिया गया है, जिसकी सिजलिंग तस्वीरें जल्द ही देखने को मिलेंगी। हालांकि, उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इसकी एक झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। मौनी के फैंस को उनका ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो गया है। कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मौनी अपनी अदाओं से आग लगा रही हैं, इस पोस्ट पर मौनी को फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्रिटीज की तारीफें भी मिल रही हैं।

न्यूज गैलरी

सोने-चाँदी में गिरावट

मुंबई (वार्ता)। विदेशों में पीली धातु में मजबूती के बीच घरेलू स्तर पर मंगलवार सोने और चाँदी के भाव टूट गये। एमसीएक्स वायदा बाजार में सोना 29 रुपये यानी 0.06 प्रतिशत फिसलकर 48,065 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोना मिनी भी 29 रुपये की गिरावट के साथ 48,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। चाँदी 196 रुपये यानी 0.29 प्रतिशत टूटकर 67,050 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिकी।

चाँदी मिनी भी 190 रुपये कमजोर हुई और 67,334 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हाजिर 4.75 डॉलर की मजबूती के साथ 1,816.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गया।

भारत में डायरेक्ट सैलिंग कारोबार 16776 करोड़ रूपये के पार

नई दिल्ली/चंडीगढ़ (वार्ता)। भारतीय डायरैक्ट सैलिंग कारोबार वर्ष 2019-20 में 28 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि के साथ 16776 करोड़ रूपये पहुंच गया जो वर्ष 2018-19 के मुकाबले 3696 करोड़ अधिक है। देश में डायरेक्ट सैलिंग उद्योग की संस्था इंडियन डायरेक्ट सैलिंग एसोसिएशन(आईडीएसएस) की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा नई दिल्ली में जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा ÷डायरेक्ट सैलिंग उद्योग देश में लाखों लोगों को स्वरोजगार, अतिरिक्त आय सृजन और स्टार्टअप का अवसर प्रदान कर रहा है। देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल माहौन तैयार करनाख्वा उनके मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मंत्रालय ने इस सम्बंध में अनेक कदम उठाये हैं तथा डायरेक्ट सैलिंग उद्योग को इसका लाभ उठाना चाहिए÷। रिपोर्ट के अनुसार देश में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग और कारोबार का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और इसने गत चार सालों में 18 प्रतिशत सीएजीआर दर्ज की है। इसके अलावा डायरेक्ट सैलिंग से जुड़े लोगों की संख्या वर्ष 2018-19 के लगभग 57 लाख के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 74 लाख तक पहुंच गई है। इनमें पुरूष और महिलाओं की संख्या लगभग समान है। आईडीएसए की अध्यक्ष रिनी सान्याल ने रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा ÷सर्वेक्षण रिपोर्ट देश में डायरेक्ट सैलिंग कारोबार को लेकर उत्साहजनक परिदृश्य दिखाती है। ऐसे में जब दुनियाभर में कोरोना महामारी के चलते गम्भीर सामाजिक-आर्थिक संकट व्याप्त है लेकिन इसके विपरीत डायरैक्ट सैलिंग कारोबार की वक्र रेखा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। गत चार वर्षों में 18त्न की सीएजीआर इस बात का ठोस प्रमाण है कि देश में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय ने लगातार और शानदार प्रगति की है और आने वाले वर्षों में सरकार के उम्मीदों के अनुरूप नियामक ढांचे की बदौलत यह अपनी स्थिति को और मजबूत करने की ओर अग्रसर है। आईडीएसए के उपाध्यक्ष रजत बनर्जी ने कहा ÷मुझे यह जानकारी साझा करते हुये खुशी हो रही है कि भारत वर्ष 2019 में विश्व डायरेक्ट सैलिंग कोरोबार में अपने 15वें स्थान से सुधार करते हुये 12वें स्थान पर पहुंच गया।

हमें पूरा विश्वास है कि भारत पहले के अनुमानों की तुलना में बहुत जल्द दुनिया के शीर्ष पांच डायरेक्ट सेलिंग बाजारों में शामिल होने का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

ओलंपिक खेल गांव अभी भी संक्रमण से सुरक्षित : आईओसी स्वास्थ्य सलाहकार

टोक्यो (वार्ता/शिन्हुआ)। कोरोना रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के स्वास्थ्य सलाहकार ने सोमवार को आश्वस्त किया है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित स्टाफ के बीच कोरोना संक्रमण मामलों के बावजूद ओलंपिक खेल गांव सुरक्षित है। आईओसी

को कोरोना रोकथाम पर सलाह दे रहे एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष ब्रायन मैकक्लोस्की ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ÷ व्यक्तिगत संक्रमण की आशंका है, क्योंकि संबंधित लोग फिल्टरिंग के विभिन्न स्तरों से गुजर रहे हैं, हालांकि स्थानों पर सभी रोकथाम उपायों के साथ, विशेष रूप से मजबूत परीक्षण उपायों और आईसोलेशन की त्वरित प्रतिक्रिया के साथ संक्रमण दूसरों के लिए जोखिम पैदा नहीं करेगा।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 512490304202100

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी संजय सिंह ठाकुर पिता स्व. मोहन सिंह ठाकुर पता- क्वाटर नं. 11/डी सड़क नं. 31 बी इस्पात नगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 1011/5(0.0153) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106412032021032

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी संतोष राय पिता/पति मोहन राय पता- फ्लैट नं. ए-402 शालासर ग्रीन्स रायपुर तहसील व जिला रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 456/39(0.0223) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106209032021031

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी गौरी देवी पिता/पति चिरंजीवी पता- अम्बेडकर चौक मरोदा टैंक वार्ड 61 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 695/90(0.0035) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106205032021034

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी कमल किशोर यादव पिता एन.जी. यादव पता- 164/4 रोहिणीपुरम रायपुर तहसील व जिला रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 1038/31(0.0139) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106418032021017

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी चंदूलाल रजक पिता स्व. कन्हैया लाल पता- क्वाटर नं. 06 ब्लाक नं. 01 सेक्टर 10 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 536/33(0.0063) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106208032021046

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी मनटोरिया वर्मा पिता/पति अलखराम वर्मा पता- 69/1020 शांति विहार कालोनी डंगनिया रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 665/5/3(0.0481) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106424022021037

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी बहे मु. आम भूपेन्द्र सोनी पिता स्व. नवीन्द्र लाल स्वर्णकार पता मिनाक्षी नगर वार्ड 53 दुर्ग, मुरली प्रसाद पिता किशोरीलाल स्वर्णकार पता न्यू द्विवेदी काम्पलेक्स विद्युत नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम रेखा सोनी पिता/पति स्व. नवीन्द्र लाल स्वर्णकार पता आशीष नगर पूर्व रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम सुरेन्द्रलाल सोनी पिता स्व. नवीन्द्र लाल स्वर्णकार पता वार्ड 52 न्यू आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, विजय कुमार सोनी पिता स्व. नवीन्द्र लाल स्वर्णकार पता वार्ड 52 न्यू आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम दुलारी बाई सोनी पिता/पति स्व. नवीन्द्र लाल स्वर्णकार पता पोटियाकला वार्ड 53 दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 672/1(0.0460) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5124923032021050

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी सीमा बाघमारे पिता/पति विजय बाघमारे पता- क्वाटर नं. 9सी सड़क नं. 03 सेक्टर-02 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 702/24(0.0042) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5124923032021047

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी ज्योति रणदिवे पिता/पति आर.के. रणदिवे पता- क्वाटर नं. 30 एच सड़क नं. 29 सेक्टर-5 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 702/15(0.0042) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी : राजस्व
संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106220032021015

ईश्तहार
तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी भुवन लाल वर्मा पिता चिंताराम वर्मा पता 154/5, होरी आटो लाईन प्रगति नगर रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, महेन्द्र देवांगन पिता हरिप्रसाद देवांगन पता म.न. 100 रिसाली बस्ती आदर्श पारा शासकीय प्रायमरी स्कूल के पास तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम जगदेव पिता स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम सुमित्रा बाई पिता/पति स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम अनोज कुमार पिता स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम जगदीश पिता स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम रेखा पिता/पति स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग, बहे मु आम कविता पिता/पति स्व. मंगलदास पता 178 रिसाली बस्ती सतनामी पारा रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 662/1(0.0173) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, तहसील-दुर्ग

एक्सिस बैंक लिमिटेड
AXIS BANK
असेस्ट सेल्स सेंटर, द्वितीय तल, चावल चेम्बर्स, न्यू बस स्टैण्ड के सामने, जीवन बीमा मार्ग पण्डरी, रायपुर-492004

नोटिस
एतद् द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज का भुगतान करने में चूक की है और कहा है कि सुविधाएं गैर-निष्पादित संपत्ति बन गई है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्ननिर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उनके ज्ञात पतों का उपयोग नहीं किया गया है इसलिए इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ब्रांच : एक्सिस बैंक लिमिटेड- असेस्ट सेल्स सेंटर, द्वितीय तल, चावल चेम्बर्स, न्यू बस स्टैण्ड के सामने, जीवन बीमा मार्ग पण्डरी, रायपुर-492004

	उधारकर्ता/सह उधारकर्ता का नाम व पता	जिस संपत्ति पर ऋण लिया गया उसका पता	नोटिस जारी होने की तिथि	बकाया राशि (दावा किया) रु. में	ऋण वितरित रु. में
1	**राजेश कुमार शर्मा** पिता समुना प्रसाद शर्मा क्वा. नं. 11-ए, स्ट्रीट 6 से. 2 दीपक बुक डिपो के पास भिलाई 490001 (आवेदक) **सुनीता शर्मा** पति राजेश कुमार शर्मा क्वा. नं. 11-ए, स्ट्रीट 6 से. 2 दीपक बुक डिपो के पास भिलाई 490001 (सहआवेदक)	फ्लैट नं. एलआईजी एच/602, छठवां तल, ख.नं. 252 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी दीनदयाल आवासीय परिसर खम्हरिया भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) **सीमाएं :-** उत्तर- एलआईजी एच/601, दक्षिण- सर्विस एरिया, पूर्व- एलआईजी जी/603 पश्चिम - एलआईजी एच/603	26.04.2021	6,42,561/-	6,36,901/-
2	**उमेश कुमार पिता राजबंश ओझा** म.नं. यू-08, शिवाजी पार्क के पास अवंति विहार रायपुर-492001 (आवेदक) **उमेश कुमार** C/o श्री राजवंश ओझा ग्राम मोदीहरा, पुलिस स्टेशन नटवर जिला-रोहतास (बिहार)-802217 **श्रीमती ममता ओझा** पति उमेश कुमार म.नं. यू-08, शिवाजी पार्क के पास अवंति विहार रायपुर-492001 (सह आवेदक)	दीनदयाल आवास योजना अंतर्गत शंकर नगर की सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, फ्लैट नं. एलआईजी-87, ब्लाक-6 प्रथम तल, ख. नं. 374/2 का भाग कुल क्षेत्रफल 489.90 वर्गफुट जिसमें कालम सिस्टम फ्लैट का निर्माण किया गया है। कुल एरिया 489.90 वर्गफुट जो छह साल से निर्माणाधीन है। मौजा-शंकर नगर, प.ह.नं. 113, वार्ड नं.-28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड दीनदयाल आवासीय योजना) रायपुर-1 **सीमाएं :-** उत्तर-खुला प्लाट, दक्षिण- म.नं. 98, पूर्व- म.नं. 85, पश्चिम- खुला प्लाट	26.04.2021	12,57,097/-	13,50,000/-
3	**श्री तरूण मारवाह** पिता विजय मारवाह म.नं. बी-34, जगन्नाथ मंदिर के पास गायत्री नगर, जय माता दी प्रोविजन स्टोर के सामने रायपुर (छ.ग.)-492001 (आवेदक) **विजय मरवाह** पिता मोइक शाह मारवाह रामचमेली मारवाह, जगन्नाथ मंदिर के पास गायत्री नगर जय माता दी प्रोविजन स्टोस के जगन्नाथ मंदिर के पास गायत्री नगर सामने रायपुर (छ.ग.)-492001 (सह आवेदक) **तरूण मारवाह** मे. श्री फारवर्डिंग, म.नं. 38 राजेन्द्र नगर, पानी टंकी के सामने न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.)- 492001	परिवर्तित भूमि के समस्त भाग व खण्ड खसरा नं. 1141/57, प.ह.नं. 110/40 खम्हारडीह, क्षेत्रफल 0.057 हेक्टेयर, ग्राम शंकर नगर, प.ह.नं. 110/40 आर.आई.सी. रायपुर-1, जिला -रायपुर (छ.ग.) में स्थित। **सीमाएं :-** उत्तर- रोड (ख.नं.1141 का भाग) दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व-ए.एम. इन्फ्रास्ट्राक्चर एंड पर्चेस की भूमि, (ख.नं. 1141/6) पश्चिम- रोड (ख.नं. 1141/1 का भाग) दिनांक 15/05/2012 की बिक्री विलेख के अनुसार।	21.04.2021	61,18,973/-	85,00,000/-
4	**श्री प्रवीण कुमार साहू पिता सुरेन्द्र कुमार** साहू सेक्टर-2, स्ट्रीट-2 मदर्स प्राईड स्कूल के पास प्रोफेसर कालोनी रायपुर (छ.ग.) पिन- 492001 (आवेदक) **श्री प्रवीण कुमार साहू** शाप नं. 317, तृतीय तल प्रोग्रेसिव पाइंट लालपुर, रायपुर (छ.ग.)-492001 (आवेदक) **श्रीमती ममिता साहू** पति श्री प्रवीण कुमार साहू सेक्टर-2, स्ट्रीट-2 मदर्स प्राईड स्कूल के पास प्रोफेसर कालोनी रायपुर (छ.ग.) पिन- 492001 (सह आवेदक)	आफिस यूनिट नं. 317 कुल क्षेत्रफल 534 वर्गफुट या 49.63 वर्गमीटर तृतीय तल प्रोग्रेसिव पाइंट टिकरापारा प.ह.नं. 114/14, खसरा नं. 424/3 डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड- 46, रायपुर-2 (छ.ग.) **सीमाएं :-** उत्तर- जटिल मार्ग दक्षिण- यूनिट 316, पूर्व- सामान्य मार्ग पश्चिम- खुली जगह	18.05.2021	10,02,697/-	15,00,000/-
5	**श्री भूपेश कुमार पिथालिया** पिता श्री किशोरचंद्र पिथालिया म.नं. 15, हाउसिंग बोर्ड कालोनी लालबाग, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 (आवेदक) **मेघा पिथालिया** पति श्री भूपेश कुमार पिथालिया म.नं. 15, हाउसिंग बोर्ड कालोनी लालबाग, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 (सह आवेदक)	परिवर्तित भूमि स्वामी ख.नं. 20/5 एरिया-3.23 एकड़ (1.307 हे.) परिवर्तित भूमि रिवेन्यू रु. 41.41, ग्राम साल्हेभर्री, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.- पड़दा, विकासखण्ड व तहसील खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) **सीमाएं :-** उत्तर- श्री नेतराम की भूमि, दक्षिण-रोड, पूर्व - रोड, पश्चिम- श्री तिजऊराम की भूमि	19.04.2021	46,66,364/-	50,00,000/-
6	**मेसर्स गुप्ता कृषि वस्तु भण्डार** शाप नं.-1, वार्ड नं.-26, पुराना गंजपारा राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 **राजीव गुप्ता** पिता बृजकिशोर गुप्ता कृषि वस्तु भण्डार, म.नं. 85, वार्ड नं. 35, डोंगरगांव रोड, रिद्धि-सिद्धि कालोनी, कौरिनभाठा, राजनांदगांव-2 (छ.ग.) 491441 **बृजकिशोर गुप्ता** पिता कृष्ण मुरारीलाल गुप्ता, म.नं. 85, वार्ड नं. 35, डोंगरगांव रोड, रिद्धि-सिद्धि कालोनी, कौरिनभाठा, राजनांदगांव-2 (छ.ग.) 491441 बृजकिशोर गुप्ता म.नं. बी-23, वार्ड-27 कैलाश नगर, शारदा हास्पिटल के पास राजनांदगांव (छ.ग.) 491441	परिवर्तित आवासीय भूमि के सभी भाग व खण्ड कुल क्षेत्रफल 2596 वर्गफीट खसरा नं. 392/1 393/1, 393/3, 400/2, 400/3 का भाग-3 (पुनः क्रमांकित 392/3) एरिया- 1314 वर्गफीट ख.नं. 392/1, 393/1, 393/3, 400/2 400/3 का भाग-2 (पुनः क्रमांकित 392/2) एरिया- 1262 वर्गफीट ग्राम-कौरिनभाठा, वार्ड 39 रिद्धि-सिद्धि कालोनी फेस-2, तहसील एवं जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) श्री बृजकिशोर गुप्ता के नाम से दर्ज है। एवं इसके बाद 1298 वर्गफीट भूतल पर मौजूदा निर्माण और 1298 वर्गफीट प्रथम तल पर सभी भवन और संरचना के साथ जुड़नार फिटिंग और सभी संयंत्र एवं मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज जो वर्तमान एवं भविष्य से दोनों से जुड़ी हुई है।	11.06.2021	93,82,499/- 3,84,180/- एवं 18,55,488/-	90,00,000/- 18,00,000/- एवं 4,44,902/-
7	**श्रीमती रविंदर कौर भाटिया** पति जरनैल सिंह भाटिया, म.नं. 510, वार्ड-27, मनुखलाल पेट्रोल पंप, ग्राम व तहसील राजनांदगांव (छ.ग.)- 491001 **जनरैल सिंह भाटिया** पिता श्री गुरदयाल सिंह भाटिया म.नं. एचआईजी-85, कौरिनभाठा (हाउसिंग बोर्ड कालोनी) राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 **जनरैल सिंह भाटिया** म.नं. 510, वार्ड-27, मनुखलाल पेट्रोल पंप, ग्राम व तहसील राजनांदगांव (छ.ग.)- 491001	प्लाट नं, म.नं. एचआईजी-20 स्कीम के तहत कुल क्षेत्रफल 178.50 वर्गमीटर / 926 कौरिनभाठा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, प.हनं.-24 आर.आई. सर्कल राज.-1, गांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) **सीमाएं :-** उत्तर-10.00 मीटर प्रायवेट भूमि दक्षिण- 10.20 मीटर रोड, पूर्व- 17.30 मीटर मकान नं. एचआईजी-1-85 पश्चिम- 18.10 मीटर एचआईजी-1/87	20.04.2021	50,25,981/-	40,00,000/-

नोटिस की प्रतिस्थापित तामिल के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/सह आवेदक (जहां लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू शुल्क से साथ बकाया राशि का भुगतान करें, जो वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण व सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अनुसार इस नोटिस की तिथि के 60 दिनों की समाप्ति के बाद लिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उप-धारा (2) संदर्भित नोटिस की प्राप्ति के बाद कोई भी उधारकर्ता सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या नोटिस में संदर्भित उसकी किसी भी सुरक्षित संपत्ति के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा।

दिनांक : 21/07/2021, स्थान- रायपुर — **प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमि.**

असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी प्रज्ञा निर्वाणी

बेमेतरा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला के अनुमोदन से असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय ने जिला पँचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी की नियुक्ति असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस के बेमेतरा जिला अध्यक्ष के पद पर की हैं। प्रज्ञा निर्वाणी ने अपने नियुक्ति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा, प्रभारी महासचिव जितेंद्र साहू, जिला अध्यक्ष बंशी पटेल सहित संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि बेमेतरा जिला में संगठन को मजबूत बनाने पार्टी के नीतियों के अनुरूप कार्य करेंगी और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आवाज संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुचायेगी।

साजा कांग्रेस आईटी सेल एवं मीडिया प्रभारीयों की बैठक सम्पन्न

साजा/नवप्रदेश। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साजा अध्यक्ष संतोष वर्मा के नेतृत्व में उनके गृह ग्राम मुंगलाटोला निज निवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साजा के मीडिया प्रभारीयों एवं आईटी सेल टीम के सदस्यों के बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा ने कहा कि सभी सदस्य छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं एवं कार्यों को जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहें। सत्ता सरकार एवं संगठन के बारे में अफवाह फैलाने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब सभ्य और लोकतांत्रिक भाषा में देवें, हम सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में अभी से लग जाने की बात कही। उपरोक्त बैठक में मीडिया प्रभारी अंजोर यदु, संग्राम राजपूत, आशुतोष दुबे, मोहम्मद इदरीश, आईटी सेल टीम के विप्लव गौराहा, चिंता वर्मा, अजय वर्मा, जिवेश वर्मा, गोपेश पटेल, विकी साहू, आशीष तिवारी, नारद सिन्हा उपस्थित थे।

एक साल से फरार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

राजनांदगांव/नवप्रदेश। प्रार्थी के द्वारा 14.11.2020 को प्रार्थी द्वारा थाना अंबागढ़ चौकी ने रिपोर्ट दर्ज कराया, इसकी नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला, फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर थाना चौकी में अपराध 223/2020 धारा 363 भादंवि कायम कर अपहृत बालिका विववेना दौरान 17.07.2021 को बरामद कर उनके परिजन को सुपुर्द किया गया था। आरोपी घटना दिनांक से ही लगातार फरार था। लगभग 1 साल तक पुलिस उसे ढूंढती रही। मामला नाबालिका बालिका से संबंधित संवेदनशील प्रकरण होने से पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामडे के निर्देशन में थाना अं. चौकी से विशेष टीम गठित औरंगाबाद महाराष्ट्र रवाना किया गया।

नगदी चोरी करने वाला आरोपी निकला विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक

कबीरधाम थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा विधिवत विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर बाल न्यायालय में पेश किया गया

कवर्धा/नवप्रदेश। सुमन साहू पति डोमेन्द्र साहू, उम्र 34 वर्ष वार्ड नंबर 13 कहचेरी पारा जिला कबीरधाम के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 17.07.2021 को पड़ोसी द्वारा 05.30 बजे शाम को फोन कर बतायी कि आपके मकान का ताला टुटा हुआ है और किसी अज्ञात व्यक्ति को अंदर से बाहर निकलते देखा है बतायी तो मै अपने घर पहुंची देखी गो मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ था आलमारी का समान बिखरा था मेरे आलमारी के पर्स में रखे नगदी रकम 5000.00 रूपये एक सेट आटीफिसियल ज्वेलरी किमती 3000 रूपये का मेरी बेटी का घड़ी तथा एक जिन्स, एक नेकर , 03 लैगिस नीला काला रंग का नहीं था साथ में किराये दार रतना कौशिक पति तामेश्वर कौशिक के यहां का भी ताला टूटा हुआ था, और आलमारी एवं वहां रखें समान बिखरा हुआ था पर्स का नगदी रकम 10000 रूपये नहीं था। किसी अज्ञात चोर के द्वारा मेरे एवं रतना कौशिक के रूम का ताला तोड़कर घर के आलमारी में रखे नगदी रकम कुल 15000.00 रूपये एवं एक सेट आटीफिसियल ज्वेलरी एवं कपड़े को किसी अज्ञात चोर के द्वारा

हमारे अनुपस्थिती में चोरी कर ले गया है।

रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, तथा वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री मोहित गर्ग एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पी.आर. कुजूर, उप. पुलिस अधीक्षक अजाक श्री बी.आर. मंडावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक से मुकेश सोम के द्वारा चोरी को पकड़ने हेतु थाना कोतवाली और साइबर टीम को उक्त आरोपी तथा चोरी के मस्त रुका को बरामद करने हेतु अलग अलग टीम बनाकर रवाना किया गया जिस पर पता तलाश दौरान मुखबीर के द्वारा सूचना दिया गया कि एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक जो बाल सम्प्रेक्षण गृह से फरार है, तथा चोरी का कपड़ा पहन कर घुम रहा है।

सूचना पर सूचना तस्दीकी हेतु विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक से पुछताछ किया गया जो पुछताछ में कचहेरी पारा गली में बाहर से ताला लगे देखकर पिछे से घर के अंदर प्रवेश कर घर में ही मौजुद लोहे की राड से सुमन साहू के घर का तीन ताला को तोडकर घर के आलमारी में रखें नगदी रकम 15000 रूपये और आर्टिफिशियल जेवर कपड़ा को चोरी करना बताया और नगदी रकम को खर्च करना व 200 रूपये एवं आर्टिफिशियल जेवर कपड़ा को घर में रखना एवं चोरी के एक लैगिस को पहना हूं बताएं जाने पर विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक के घर जाकर चोरी के समान को बरागद किया गया।

विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर बाल न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में सउनि दिनेश झारिया, आरक्षक समशेर अली, एवं साईबर सेल के सउनि चंद्रकांत तिवारी,आर. आकाश राजपुत , देवा चंद्रवंशी, मनीश कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

ग्रामीणों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया बेरला थाना का घेराव

पुलिस पर राजनैतिक दबाव में आरोपियों को संरक्षण देने के लगाए आरोप

बेरला/बेमेतरा। ब्लाक के ग्राम करामाल निवासी जितेंद्र साहू से हुई मारपीट के मामले में आरोपियों पर न्याय संगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार सुबह 11 बजे बेरला थाना का घेराव कर दिया। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने सभापति जिला पंचायत राहुल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफजमकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन के लिए सुबह से ही ग्रामीण लिमाही चौक पर इकट्ठा होने लगे थे। सुबह करीब 11 बजे लिमाही चौक से नारेबाजी करते हुए ग्रामीण बेरला पुलिस चौकी पहुंचे। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी विमल बैस बेरला थाना पहुंचे। प्रदर्शनकारी प्रकरण में न्याय संगत धाराओं को जोड़ने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शन में महादेव वर्मा, बलराम सिन्हा, इंद्र वर्मा, नंदलाल साहू, अमरचंद चतुर्वेदी, धनेश्वर पाल, फागुराम साहू, भूनेश्वर साहू, अनिल, परदेसी, रामबिहारी सिन्हा, मना यदु , भोलू यदु, शशि चतुर्वेदी,

कैलाश चतुर्वेदी, उतरा साहू, सेवती साहू, केकती सिन्हा, रमनिया, मोहनी सिन्हा, रमशिला, दुलारी उर्मिला, तिजमत, ललिता, उमेश्वरी शवित्री, अंकलिहिन, रेखा, केवरा आदि उपस्थित थे।

6 घण्टे के प्रदर्शन के बाद भी नहीं निकला समाधान, 2 दिनों का अल्टीमेटम - करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद एडिशनल एसपी ने थाना प्रभारी पुष्पेंद्र भट्ट को उचित धाराओं को प्रकरण में जोड़ने के लिए निर्देशित किया। इसके लिए थाना प्रभारी शाम 5 बजे तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बेरला पुलिस के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी थाना परिसर को खाली कर लिमाही चौक पर जमे रहे। शाम 5 बजे प्रदर्शनकारी फिर से थाना पहुंचे, यहां प्रकरण में धारा जोड़ने को लेकर थाना प्रभारी और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक वार्तालाप होती रही लेकिन आश्वासन के बावजूद उचित समाधान नहीं निकलने से प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी।

पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट का दिया हवाला - पुलिस ने डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर धारा जोड़ने में पेच फंसा होने की बात कही। राहुल टिकरिहा ने बताया कि पुलिस ने अब तक पीड़ित पक्ष पर आरोपियों द्वारा हमले में प्रयुक्त ईट और खून से सने कपड़े कोई जब्त नहीं किया है। स्पष्ट है कि पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में प्रकरण को कमजोर करने में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रकरण में उचित धारा नहीं जोड़े जाने पर फिर से बेरला थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।

सत्ता पक्ष के दबाव में प्रकरण कमजोर करने के लगाए आरोप - प्रार्थी जितेंद्र साहू ने बताया कि बेरला शराब दुकान में चखना दुकान का संचालन करने वाले राजकुमार सेन और उसके 2 साथी ने 14 जुलाई को रात्रि 11 बजे उसकी पत्नी और बच्चे के सामने घर में घुसकर ईट से से प्राणघातक हमला किया।

वार्ड 6,10 और ग्राम धोबघट्टी कंटेनमेंट जोन घोषित

कवर्धा/नवप्रदेश। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के विकासखण्ड पंडरिया अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6, 10 और ग्राम धोबघट्टी (7 प्रकरण) में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर उक्त क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है। कन्टेमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे खाद्य आपूर्ति, आपातकालिन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कन्टेमेंट जोन के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेंडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अनय किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सालय एव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चिति किया जाएगा। सभी कन्टेमेंट जोन क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए गए है। प्रभारी अधिकारी कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कन्टेमेंट जोन में बैंकों में ग्राहक सेवा पूर्णतः बंद रहेगा।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

चोरी कबूलने सरपंच की...

निवासी दिलीप यादव पर गांव के ही नेमीचंद बढ़ई के घर में घुसकर 500 रुपए और पायल चोरी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में रविवार को पुलिस ने दिलीप को पकड़कर थाने ले गई। जहां पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। इसके बाद अगले दिन सोमवार देर रात दिलीप ने अपनी पत्नी कविंद्री बाई और 23 व 20 साल की दो बेटियों और 16 व 18 साल के दो बेटों के साथ जहरीला पदार्थ पी लिया। इसके बाद पड़ोसी किसी काम से उनके घर पहुंचा तो घटना का पता चला।

पुलिस पर लगा आरोप

पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव का कहना है कि बगैर जांच पड़ताल के पुलिस कार्रवाई करती हैं इसका ही यह परिणाम है। सिर्फ आरोप लगने पर एकतरफा कार्रवाई करने की परंपरा पुलिस में है। इसे बंद किया जाना चाहिए। किसी भी गांव में व्यक्ति व परिवार का मान सम्मान होता है। यह घटना भी इसी से जुड़ा हुआ है। उच्चाधिकारियों को चाहिए कि कार्रवाई करने वाले संबंधित पुलिस कर्मचारियों का कार्रवाई कर मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं। इस मामले में भखारा थाना प्रभारी संतोष जैन ने बताया कि पड़ोसी नेमसिंह साहू ने थाने में चोरी की शिकायत की थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। अब जहर सेवन कारणों पर भी पूछताछ किया जायेगा।

भूपेश कैबिनेट की...

विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों/ कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रारंभ होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही आंगनबाड़ियों 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम/छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया। गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने एवं दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्ही उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं।

देश की 40 करोड़....

पूरी तरह वैक्सिनेटेड होने के बाद ही ट्रैवल करना चाहिए।

सबसे ज्यादा 45-60 आयुवर्ग के लोगों में दिखी एंटीबॉडी

सर्वे में पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में 57.2 पर्सेंट में एंटीबॉडी मिली। यानी वह कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। इसी तरह 10 से 17 साल के बच्चों में 61.6 पर्सेंट, 18 से 44 साल में 66.7 पर्सेंट, 45 से 60 साल में 77.6 पर्सेंट और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 76.7 पर्सेंट में एंटीबॉडी मिली। इसमें या तो संक्रमण की वजह से एंटी बॉडी बनी या फिर वैक्सीन लगने के बाद।

पिछले साल मई-जून में किया गया था पहला सीरो सर्वे

पहला सीरो सर्वे पिछले साल मई-जून में किया गया था जिसमें 0.7 पर्सेंट लोगों में एंटीबॉडी मिली। पिछले साल अगस्त-सितंबर में यह 7.1 पर्सेंट फिर दिसंबर-जनवरी में 24.1 पर्सेंट और अब जून-जुलाई में किए गए सर्वे में 67.6 पर्सेंट लोगों में एंटीबॉडी मिली।

विधायक काफिले पर..

फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान नक्सलियों और जवानों के बीच रुक -रुक कर बहुत देर तक फायरिंग होती रही।

बाल-बाल बचे विधायक कश्यप

नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप सड़क के रास्ते ओरछा के लिए रवाना हो रहे थे। इसकी सुरक्षा के लिए आरओपी लगाई गई थी। विधायक का काफिला जैसे ही आमादई शिव मंदिर से गुजरा उसी वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर आरओपी में तैनात जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफगोलीबारी में आइटीबीपी का एक जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गया है, वहीं एक जवान घायल है। घायल जवान को उपचार के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

घटना के बाद चंदन कश्यप सकुशल ओरछा पहुँच चुके हैं अब विधायक को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जगदलपुर पहुँचाया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक चंदन कश्यप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि आज की घटना 2018 विधायक भीमा मंडावी की शहादत को याद दिला गई। मांडवी के काफिले पर भी इसीतरह से ही वार किया गया था,जिसमे मांडवी शहीद हो गए थे।

शहीद जवान राजस्थान का रहने वाला

मुठभेड़ के दौरान आईटीबीपी के जवान शिव कुमार मीणा शहीद हो गए हैं। वह राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं एक अन्य जवान घायल है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुठभेड़ के बाद आईजी के निर्देश पर क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है।

शहीद को दी गई सलामी

शहीद जवान शिवकुमार मीणा के पार्थिव शरीर को रक्षित केंद्र, नारायणपुर में सलामी दी गई। शहीद की सलामी के दौरान नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप नगर पालिका अध्यक्ष, नारायणपुर सुनीता मांझी, आईजी बस्तर सुंदरराज पी., डीआईजी, कांकेर बालाजी राव, कलेक्टर, नारायणपुर धर्मेश साहू , पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर यू. उदय किरण, एएसपी नीरज चंद्राकर, कमांडेन्ट, 41बटालियन, आईटीबीपी पवन सिंह, डिप्टी कमांडेंट, 45बटालियन आईटीबीपी रोशन लाल शर्मा और डिप्टी कमांडेंट, 53 बटालियन आइटीबीपी पदुम सिंह बग्गा सहित जिला के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित जवान उपस्थित रहे। पुलिस लाईन में शहीद जवान को सलामी पश्चात् गृहग्राम कारोली, राजस्थान के लिए रवाना किया जाएगा।

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2020-21
ग्राम- आरंग प.ह.नं. 54

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत परिषद आरंग जिला रायपुर का पत्र क्रमांक/2560/न.पा./लो.नि.वि./ 2020-21 आरंग दिनांक 29.10.2020 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम आरंग प.ह.नं. 54 तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) स्थित भूमि शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ख.नं. 1350 रकबा 9.83 हे. में से 5.00 हे. भूमि गौठान, एसएलआरएम सेंटर एवं कम्पोस्ट शेड निर्माण हेतु तथा ख.नं. 3252/1 रकबा 2.2980 हे. में से 2.00 हे. भूमि सामुदायिक भवन निर्माण, सब्जी बाजार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क एवं रिसर्च सेंटर आदि निर्माण हेतु आवश्यकता है। कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन के प्राप्त हो चुकी है। अतः महोदय से निवेदन है कि खसरा नं. 1350 में रकबा 5.00 हे. एव खसरा नं. 3252/1 रकबा 2.00 हे. भूमि का आवासीय दर पर आबंटत किए जाने का कष्ट करें, जिससे कि नगर विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो वे इस न्यायालय में दिनांक 27.06.2021 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
आरंग, जिला-रायपुर

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम-सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी वीर सावरकर नगर हीरापुर रायपुर में निर्मित एलआईजी योजना अंतर्गत भवनों में से भवन/भूखंड क्र. एलआईजी-1749 में श्री आशीष तिवारी एवं आलोक तिवारी दोनों के पिता स्व. श्री राकेश तिवारी को स्ववित्तीय/ एकमुश्त/आफर आधार पर आबंटित/ नामांतरित किया गया है। उनके द्वारा दि. 26.05.2016 को लीजडीड/ सेलडीड/ विक्रय विलेख पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी द्वारा उक्त भवन श्रीमती अनिता तिवारी पति श्री कैलाश तिवारी के पक्ष में दिनांक 31/11/2018 को विक्रय कर दिया।

तदउपरांत क्रेता द्वारा उक्त भवन/भूखंड अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति, सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखंड क्रेता श्रीमती अनिता तिवारी पति श्री कैलाश तिवारी के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशित की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, अटल नगर

// बिजली बंद की सूचना //

समस्त सम्मानीय उच्चदाब एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि माना उपसंभाग के अंतर्गत सेजबहार वितरण केन्द्र में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र दतरेंगा में 11 के.व्ही. मेन फीडर का वी.सी.बी. खराब है, जिसे बदलने हेतु दिनांक 22.07.2021 समय सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक विद्युत सप्लाई बाधित रहेगा। जिसके कारण निम्नलिखित उपकेन्द्रों से निकलने वाले एवं दर्शित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध रहेगी। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

क्र.	फीडर का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1.	11 के.व्ही. दतरेंगा फीडर	ग्राम डोमा, दतरेंगा, कांदुल, काठाडीह, मुर्रा, वेदांता सीटी कालोनी, बगदई वाटिका कालोनी, वॉलफोर्ट वाटिका एवं वॉलफोर्ट पैराडाईस कालोनी।
2.	11 के.व्ही. दतरेंगा ग्रामीण फीडर	
3.	11 के.व्ही. मुर्रा फीडर	
4.	11 के.व्ही. दतरेंगा पम्प फीडर	

''विद्युत संबंधित शिकायतें केन्द्रीयकृत काल सेंटर के फोन नं. 1912 पर दर्ज कराएं।''

असुविधा के लिए खेद है

(एस.के. गुप्ता)
EMP NO. 9510850
कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं. लि., अटल नगर नवा रायपुर

संवाद-29349/1

''विद्युत चोरी एक दण्डनीय अपराध है कृपया इससे बचें'' ''स्वहित एवं राष्ट्रहित में उर्जा बचाइए''

न्यायालय नजूल अधिकारी कबीरधाम (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.ई.पंजी./202107082200029
अ-6/2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक घनश्याम पटेल पिता फिरनराम पटेल जाति मरार निवासी गांगचुवा तहसील व पोस्ट कवर्धा साकिन कवर्धा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नजूल नगर कवर्धा स्थित शीट क्र. 16 सी भूखण्ड क्र. 7/2 क्षेत्रफल 43.00 वर्गमीटर भूखण्ड जो नजूल अभिलेख में कमरून निशा पति मो. ईरफान के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, उक्त भूखण्ड को आवेदक द्वारा पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.07.2021 के आधार पर क्रय हक से नजूल अभिलेख में अपने नाम पर दर्ज किए जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 03/08/2021 को नियत की गई है।

अतएव जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/दावा पेश करना है तो स्वयं या वैध अभिकर्ता के माध्यम से नियत तिथि के पूर्व कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

जारी दिनांक 19/07/2021
पेशी दिनांक 03/08/2021

सील

नजूल अधिकारी
कबीरधाम

न्यायालय तहसीलदार आरंग के न्यायालय में मामला क्रमांक 202107112500060

विषय-अ-74 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20-21
चपरीद प.ह.नं. 00051
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - पुनीतराम साहू 1 अन्य
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

प.ह.नं. 51 ग्राम चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग.

आवेदक पुनीत राम साहू पिता बुधु राम साहू एक अन्य निवासी ग्राम चपरीद तहसील आरंग जिला रायपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चपरीद प.ह.नं. 51 तहसील आरंग स्थित भूमि ख.नं. 36, 234, 251, 258, 269, 760, 797, 821, 1068, 1209, क्रमशः रकबा 0.73, 0.4200, 0.1600, 0.7600, 0.3800, 0.1900, 0.3900, 2.4200, 0.0900, 0.0300 कुल ख. 10 कुल रकबा 5.5700 हे. भूमि खातेदार पुनीतराम, दयानंद दोनों पिता बुधुराम साहू के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का मूल ऋण पुस्तिका गुम खो जाने के कारण आवेदक द्वारा डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका दिए जाने की मांग किया है। अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 09/07/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील

तहसीलदार
आरंग

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम-सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा गुढ़ियारी रायपुर में निर्मित जनता भवन योजना अंतर्गत भवनों में से भवन/भूखंड क्र. जनता-155 में श्री कुशाल राव सरडे पिता श्री स्व. विट्ठल राव सरडे को आबंटित किया गया है। मूल आबंटी द्वारा दिनांक 22.12.94 को विक्रय विलेख निष्पादित करा लिया गया है।

मूल आबंटी की मृत्यु दिनांक 13.09.2001 को होने के कारण श्रीमती रेखा सरडे पति स्व. श्री कुशाल राव सरडे द्वारा उक्त भवन अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसों (श्रीमती मेघा चंद्रकुमार जाचक पति चंद्रकुमार जाचक एवं श्री मनीष सरडे पिता स्व. कुशाल राव सरडे) की सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन श्रीमती रेखा सरडे पति स्व. श्री कुशाल राव सरडे के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार सुहेला, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ-6/2020-21/साकिन ग्राम मोहरा

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोकादित्य प्रकाश धुरंधर पिता स्व. टीकम लाल धुरंधर जाति कुर्मी निवासी मोहरा प.ह.नं. 42 द्वारा भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया है। जिसमें ग्राम मोहरा प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. हिरमी, उप तहसील सुहेला, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा भूमि खाता क्र. 298 खसरा नं. 182/9, 182/13, 443/62, 443/68, 862/2 क्रमशः 1.242, 1.646, 1.549, 0.983, 0.061 हे. भूमि कुल खसरा नं. 05 कुल रकबा 5.481 हे. लगान 6.48 रुपए भूमि खातेदार/ आवेदक के पिता स्व. टीकम पिता धनसाय के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। खातेदार/ आवेदक के पिता स्व. टीकम पिता धनसाय की मृत्यु आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में हो चुकी है। पारिवारिक सीजरा संलग्न है। आवेदक उक्त भूमि पर स्व. टीकम पिता धनसाय का फौती दर्ज कर उसके स्थान पर वैध वारिसान अशोकादित्य प्रकाश धुरंधर, विनोदातित्य, आरती पिता स्व. टीकम के नाम दर्ज करने आवेदन इस न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र, बी-1, खसरा, नक्शा की नकल व तलवाना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा पेश करना हो तो नियत तिथि दिनांक 23/07/2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक 30/06/2021
पेशी दिनांक 23/07/2021

सील

नायब तहसीलदार
सुहेला

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग क्र.-1, रायपुर

मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक 5376/एनआईटी-12/टी.सी./21-22/ रायपुर, दिनांक 16/07/2021

कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)
S/R. MOW Deposit & Other Work under Survey Sub Dn. Raipur	19.90
Annual Maintenance Work,s of Residential Building of Byron Bazar & Section No.-3 under Maintenance Sub Dn. Raipur	10.00
Upgradation, Renovation, Strengthening & General Maintenance Work of Residential/Non Residenial Building Section No.-3, Under Maintenance Suv Dn. Raipur	19.90
White Washing, Colour Washing, Distempering & Painting Work of Residential/ Non Residential Building at Panchsheel Nagar Section under Maintenance Sub Dn. Raipur (VIP Bunglow, Anand Nagar & Shanti Nagar)	7.00
white Washing, Colour Washing, Distempering & Painting Work of Residential/Non Residential Building at Panchsheel Nagar Section under Maintenance Sub Dn. Raipur (Jila Hospital, Kalibadi, Raipur)	10.00
White Washing, Colour Washing, Distempering & Painting work of Residential/Non Residential Bhilding at Panchsheel Nagar Section under Maintenance Sub Dn. Raipur (Irrigation Colony, Katora Talab, Raipur)	5.00
White Washing, Colour Washing, Distempering & Painting work of Residential/Non Residential Building at Survey Sub Dn. Raipur	10.00

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि - **05.08.2021**

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

जी-62165/3

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग संभाक क्र.-1
रायपुर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे

न्यूज गैलरी

कमला कॉलेज में वाणिज्य विभाग के द्वारा वन विक फैकेल्टी डेव्लपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ

राजनांदगांव/नवप्रदेश। शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक वन विक फैकेल्टी डेव्लपमेंट प्रोग्राम जिसका विषय इनकम टैक्स प्लानिंग विथ रेस्पेक्ट टू इन विजुवल एसेस विषय पर वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 19 जुलाई 2021 को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. निवेदिता ए. लाल के द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुमन सिंह बघेल ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि सीए अमिताभ दुबे एवं प्रमुख वक्ता सीए विवेक गोलछा तथा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आयकर के महत्त्व की जानकारी प्रदान की, तथा कार्यक्रम को सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. लाली शर्मा के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य की जानकारी दी।

किसान नेता व ग्रामीणों ने घेरा कडंरका चौकी

बेमेतरा/नवप्रदेश। जिलें के बेरला ब्लाक के ग्राम बोरसी निवासी रति राम साहू के घर और दुकान में शनिवार रात 1 बजे चोरी हो गई, तुरंत रात में रिपोर्ट लिखवाने थाने गये, तो पुलिस वाले ने रति राम साहु और उसके लड़के उमेश साहु को बहुत मारा गया। पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि रात में थाने में सभी पुलीस वाले शराब के नशे में थे।

घटना की जानकारी होने पर किसान नेता योगेश तिवारी ग्राम पहुँच कर पीड़ित परिवार से मिल कर पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस वालों की इस शर्मशार गैर जिम्मेदाराना कार्य से दुखी होकर रविवार को सुबह दस बजे किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में कडंरका थाने का घेराव कर रति राम साहू और उसके बेटे के साथ मारपीट करने वालों पुलीस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग को लेकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया।

अभ्युदय स्कूल में अभिभावकों के साथसी.बी.एस.ईकीनयीपरीक्षा नीति पर चर्चा

कवर्धा/नवप्रदेश। अभ्युदय स्कूल मेंविद्यालय के प्रबंधन समिति, एवं प्राचार्या श्रीमती वी. शोभा जी के कुशल निर्देशन में अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया7 इस बैठक में कक्षा बारहवीं केअभिभावक अपने पाल्यों के साथ उपस्थित हुए एवंसत्र 2021-22 में कक्षा बारहवीं के लिए सी.बी.एस.ई.द्वारा बनायी गयीपरीक्षा की विशेष नीतिपर विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा बारहवीं के कक्षा शिक्षक श्री रॉयन फ्रीग्रेड ने पी.पी.टी. के माध्यम से बड़े ही सहजता एवं सरलता के साथ अभिभावकों को समझाया किपिछले सत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सी.बी.एस.ई. ने इस वर्ष पहले ही बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए मूल्यांकन की विशेष योजना तैयार की है एवं कहा है कि पूरे सत्र के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया जायेगा। नयी नीतिके अनुसार सी.बी.एस.ई बोर्ड द्वारा टर्म-1 (नवंबर-दिसम्बर) एवं टर्म -2 (मार्च-अप्रैल) के रूप में दो बार परीक्षा का आयोजन करवाया जायेगा। सी.बी.एस.ई.ने विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बताया है कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार विद्यार्थियों का मुल्यांकन किया जायेगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

बेमेतरा/नवप्रदेश। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान की अध्यक्षता में कल विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुआ। बैठक में कलेक्टर द्वारा विद्यालय परिसर को प्रकृति के नजदीक लाने हेतु सीईओ को मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा विद्यालय परिसर के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में निर्मित तालाब पर संज्ञान लिया गया। आने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 7 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है।

डस्टबिन में 'छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका', समोसा बांधते दिखे दुकानदार

विभागीय अधिकारीयों की नीरसता उजागर

कवर्धा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ जनमन मासिक पत्रिका का महत्त्व आम लोगों के लिए खास है, क्युकी इस पत्रिका में सरकार की योजनाओं का ख़ास उल्लेख किया जाता है ताकि जन-जन तक इसकी जानकारी पहुंचे। लेकिन इसका हश्र देखकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जायेंगे।

जनमन मासिक पत्रिका का वितरण तो जानकारी देने के लिए किया जाता है लेकिन अब इसे आप डस्टबिन में यदि देखें तो कैसा लगेगा। ऐसा ही एक नजारा कवर्धा में दिखाई दिया। कवर्धा शहर के एक होटल में जनमन पत्रिका के पेज का उपयोग समोसा बांधने में किया जा रहा है। लोग इसमें समोसा खाकर जनमन के महत्वपूर्ण पन्नों को डस्टबिन में डाल रहे हैं।

दरअसल,छत्तीसगढ़ जनमन एक मासिक पत्रिका ही नहीं है बल्कि आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, अभियानों का प्रभाव इतना व्यापक है कि सीमित अमले के साथ इसकी रिपोर्टिंग संभव नहीं है।

कभी तो भीड़ भाड़ में कोई महत्वपूर्ण बदलाव रेखांकित नहीं हो पाता और कहीं दूरदराज में करवट लेते बदलाव तक हम पहुंच नहीं पाते। ऐसे में पढ़ने लिखने में रूची रखने वाले चैतन्य लोग अपनी भाषा में सरकार की किसी भी पहल की रिपोर्ट बनाकर फोटो के साथ उन्हें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट पर पारिश्रमिक देने का प्रावधान भी है,

जिसे लेकर इस पुस्तिका में मेल आईडी व व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है।

उद्देश्य की पूर्ति पर सवाल

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को आम लोगों तक पहुंचाने जन मन पुस्तक को एक माध्यम बनाया गया है जिससे सरकार की प्रत्येक योजना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि जिस विभाग को इस जनमन पत्रिका का वितरण करने के लिए कार्यभार सौंपा गया था,वह अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

नतीजा आज जनमन पत्रिका कहीं कबाड़ की दुकान में, तो कहीं चलित होटल ठेला में समोसा बांधकर आम लोगों को दिया जा रहा है। जिसके बाद जनमन सीधे डस्टबिन दिखाई देता है। इससे साफ़ साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण पुस्तिका जनमन जिस उद्देश्य से प्रकाशन किया गया था वह सार्थक नहीं हो पा रहा है। इससे विभागीय नीरसता साफझलक रही है।

डस्टबिन में पड़े जनमन की होनी चाहिए जांच

सरकार अपनी सभी योजनाओं को आम लोगों पहुंचाने की जिम्मेदारी विभाग को सौंपती है, ताकी आम लोगों को सरकार की हर एक कार्य की जानकारी आसानी से मिल सके। लेकिन यहां कुछ उल्टा ही होते नजर आ रहा है। कबीरधाम जिले के कवर्धा ब्लॉक में अब जन मन की पुस्तिका कबाड़ की दुकान या होटल जैसे जगहों पर उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मामले की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही होटल तथा कबाड़ की दुकान दुकानों में जांच किया जाना चाहिए कि पुस्तक किसके द्वारा इनके पास बेची गई है। फ्लिहाल मामले की जांच के बाद ही इस घटनाक्रम का सच्चाई सामने आ सकेगा। अब यह मामला जांच का विषय बना हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग के शिविर में आकर 328 ग्रामीणों ने लगवाया कोरोना से सुरक्षा का टीका

कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए शत-प्रतिशत लोगों के टीकाकरण पर जोर

सरपंच ने टीके का पहला डोज लगवाकर ग्रामीणों को किया प्रेरित

राजनांदगांव/नवप्रदेश।कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने तथा संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच शहरी व ग्रामीण इलाके में कोरोना टीकाकरण कार्य में लगातार तेजी लाई जा रही है। टीकाकरण हेतु ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एक दिन पूर्व मुनादी कराई जा रही है। जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शत.प्रतिशत लोगों के टीकाकरण के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं।

जिन लोगों ने टीका का पहला डोज ले लिया है, उनसे अपनी बारी आने पर दूसरी खुराक भी अनिवार्य रूप से लेने की अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने हेतु वर्तमान में टीकाकरण ही सबसे कारगर उपाय है, इस बात पर जोर देते हुए ग्राम पंचायत दुधली तथा आश्रित ग्राम कलकसा के 328 ग्रामीणों का कोरोना टीकाकरण किया गया। ग्रामीणों ने भी जागरुकता का परिचय देते हुए शिविर स्थल पर पहुंचकर उत्साह से टीका लगवाया। इस दौरान ग्राम पंचायत दुधली के सरपंच मोहम्मद फिरोज तिगाला ने टीके का पहला डोज लगवाकर ग्रामीणों को टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रुप में लेकर कार्य किया जा रहा है।

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वर्तमान में टीका ही सबसे उचित व प्रभावी माध्यम है और इसीलिए शत-प्रतिशत ग्रामीणों को टीकाकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना टीका लगवाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण के पूर्व गांव में मुनादी, दीवारों पर नारा लेखन तथा पोस्टरों के माध्यम से प्रचार प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया, जागरुकता अभियान का ही नतीजा है कि ग्रामीण अब स्वयं आगे आकर कोरोना टीका लगवाने लगे हैं और ग्राम पंचायत दुधली में अब तक लगभग 70 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस संबंध में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दुधली के आरएचओ गोपालकृष्ण साहू ने बताया, कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण तथा इससे बचाव हेतु शत-प्रतिशत ग्रामीणों के टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है।

महिला को अनजान भेज रहा डरावने खत, पुलिस में केस दर्ज

बालोद/नवप्रदेश। बालोद जिले के डौंडी थाने में खतरे वाली खत का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया हैं। डौंडी की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की है कि उन्हें कोई अजनबी खत भेज रहा है। जिसमें कई डरावनी बातें लिखी गई है। खत की बातों को पढ़कर घबराहट में महिला ने थाने में शिकायत की है। डौंडी थाना प्रभारी अनिल ठाकुर का कहना है कि मामले में जांच चल रही है। अज्ञात आरोपी के खिलाफधारा 507 का केस दर्ज किया गया है। कोई रायपुर के डाक से पोस्ट किया है। जिसमें तंत्र मंत्र को लेकर भी बात लिखी गई है। दरअसल में महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफदहेज प्रताड़ना का केस किया था। जिसमें सास-ससुर की गिरफ्तारी भी हो गई है। पति फरार है। जो खत आया है वह उनके ससुराल से संबंधित भी है। जिससे महिला को डर हो गया है कि कहीं कोई उसे जान का खतरा तो नहीं है। महिला को इसके पहले एक खत और आया था। उसने इसे मजाक में लिया लेकिन जब दोबारा इस तरह का खत आया है तो वह डर गई है और थाने में शिकायत की है। उक्त खत 15 जुलाई 2021 को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रेषित किया गया है। महिला के मुताबिक मेरी शादी फरवरी 2017 में हुई है, शादी के बाद से मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे तब मैने अपने पति, सास, ससुर, देवर के विरूद्ध फरवरी 2021 में महिला थाना दुर्ग में धारा 498ए भादवि के रिपोर्ट दर्ज करायी हूं, उक्त मामले में मेरे ससुराल वालो का गिरसारी नही हुआ है। दिनांक 15 जून2021 व 15 जुलाई 2021 को पोस्ट कार्ड के जरिये कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे नाम से डौंडी के पते पर पत्र प्रेषित किया है।

क्या लिखा है आखिर इस खत में

15 जुलाई 2021 के पत्र में भेजने वाले ने लिखा है कि मैंने आपको पूर्व में लिखा है, कि एफआईआर के बाद आप के पीछे पूरा ससूराल पड़ा है, आप के जीवन को खतरा है। तंत्र मंत्र तथा अन्य प्रकार से आपके ऊपर काम कर रहे है । सबसे लड जाओगे मगर तंत्रमंत्र से कहां जितोगे। मैं आपको उपाय बता सकता हूं । आप दुर्ग पुरोहित लॉज में आकर मुझसे अकेले में मिल लेना। आप का काम मैं करूंगा तथा सूरक्षा भी दूंगा। अगर वहां नही आ सकते तो दूसरा पता दूंगा। अस्पष्ट हस्ताक्षर है और आपका शुभकांक्षी लिखा हुआ है।

किसानों के साथ भाजपाई अन्याय और साजिश के चलते खाद संकट : कोठारी

किसानों को अमानक खाद, बीज बांटने वाले भाजपाई नौटंकी बंद करें

राजनांदगांव/नवप्रदेश। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी ने केंद्र में बैठी मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर छग के किसानों के साथ साजिश रच निरंतर अन्याय करने और उसी अन्याय के कारण ही छग में केंद्र सरकार 2 लाख मीट्रिक टन खाद छग में कम भेज कर खाद संकट उत्पन्न कर किसानों को उनके कृषि के समय परेशान कर उनको फसल से मिलने वाले लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया है।

जिला कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिला अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी ने कहा कि जब से छग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी और 1 घंटे में किसानों का कर्ज माफ की घोषणा हुई उसके बाद धान का समर्थन मूल्य जब 25 सौ देने की घोषणा हुई तो केंद्र सरकार खुल कर छग सरकार के सेंट्रल पुल का चांवल नही खरीदने का फरमान जारी कर अन्याय करना प्रारंभ कर दिया और किसानों को समर्थन मूल्य 25 सौ ना देने छग सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मजबूत इक्छाशक्ति के चलते छग सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर उन्हें उनके फसल का वाजिब हक दिया, इसके बाद भी भाजपाई अन्याय कम नही हुई और क्रूरता का रूप धारण करते धान खरीदी के समय पर्याप्त बारदाना नही भेजने और सेंट्रल पुल में 60 लाख मीट्रिक टन चांवल खरीदने के करार के बाद मात्र 24 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का तुगलकी फरमान से छग राज्य में अफरा-तफरी के हालात पैदा कर दिए थे, पर यहां भी भाजपा की साजिश को मुख्यमंत्री बेहतर कार्य योजना ने नाकाम किया और किसानों का एक-एक दाना खरीद कर कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ न्याय किया जिससे और बौखलाई केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी पूंजीवाद मानसिकता के चलते खाद के दाम बढ़ा दिए थे, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस ने युवा नेतृत्व राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश मे व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में छग में किया जिसके दबाव में खाद के दाम कम करने पर केंद्र सरकार विवश हुई। अब जब अनियमित वर्षा से किसान परेशान है तो केंद्र सरकार अपने अड़ियल व सत्ता का दुरुपयोग कर छग के किसानों के लिए पर्याप्त खाद राज्य सरकार को उपलब्ध ना कर 2 लाख मीट्रिक टन खाद कम भेज कर संकट पैदा कर किसानों को उनके फसल से वंचित कर रही है जिसका सीधा असर किसान परिवार सहित अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी जो मोदी सरकार की साजिश और अन्याय का ही परिणाम होगा।

श्री कोठारी ने खुले शब्दों में कहा कि पूर्व में भाजपा की सरकार छग में थी तब किसानों को अमानक खाद, अमानक बीज का वितरण भाजपा सरकार करती थी, अब केंद्र सरकार के साजिश व अन्याय पर पर्दा डालने जिले के भाजपाई किसानों का ध्यान भटकाने के लिए चंद भाजपाई नुमाइंदों को लेकर चक्काजाम, तालाबंदी जैसे अप्रिय कदम की नौटंकी कर रहे है, जबकि उन्हें अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व सांसद संतोष पांडे से पूछना चाहिए कि अब तक किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, कब कब केंद्र सरकार से किसान के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए, इसका दस्तावेजों के साथ खुलासा भाजपा के लोग करने का साहस करें।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिलाओं के समूहों को न्यूनतम 3 लाख का ब्याज मुक्त लोनः गुरु रुद्र कुमार

बेमेतरा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी के क्षेत्र में 7 नए नलकूप की स्वीकृति अपने विभागीय मद से दी है, उन्होंने कहा है कि 2023 तक जिलें के सभी पँचायतों के हर घर में शुद्ध पेय जल के लिए काम किया जा रहा है, हर घर में नल कनेक्सन से जल की आपूर्ति की जाएगी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिला पँचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी से गाँधी सेवा आश्रम के जरिये महिलाओं के समूहों को हल्दी, मिर्च, धनिया, मसालों की पैकिंग कर उसे खादी ग्रामोद्योग द्वारा खरीदने और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने खादी ग्रामोद्योग से जोड़ने की बात कही, उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूहों के अलावा भी वयक्तिगत रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अनुदान तथा ऋण देने की योजनाओं को अपने पँचायत के क्षेत्रों में जाकर जानकारी दे, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ जरूरतमंद महिलाओं को मिल सकें, इसके माध्यम से गांव की महिलाओं के उत्पाद खादी ग्रामोद्योग के विभागीय आउटलेट्स के माध्यम से राज्य और राज्य के बाहर भी बिकेंगे, तकनीकी रूप से दक्ष करने समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुशीला जोशी, बालकुमारी ध्रुव सहित प्रज्ञा निर्वाणी ने पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का पुष्प गुच्छ देकर आभार व्यक्त किया। उनके साथ असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय, किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ सौरभ निर्वाणी भी उपस्थित थे।

81 हजार रूपये की आठ पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

भारी मात्रा में बिक्री हेतु चंडीगढ़, पंजाब निर्मित अवैध शराब रखा था

भाटापारा/नवप्रदेश। दूसरे प्रान्त की निर्मित 8 पेटी शराब के साथ शहर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।जब्त शराब की कीमत 81 हजार बताई जाती है।पकड़ाए युवक के पास किसी अन्य युवक ने शराब बेचने के लिए छोड़ा था,जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

उपरोक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी विजय चौधरी ने बताया की पुलिस अधीक्षक आई.के.एलेसेला के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में सोमवार को धर पकड़ कार्यवाही की।उप निरीक्षक हितेश जंघेल को मुखबीर से सूचना मिली की पंचशील नगर गुरूनानक वार्ड में नवीन जैन पिता सोमचंद जैन के द्वारा लाये चंडीगढ पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब को संतोष सिह सरिया पिता दिलीप सिह निवासी पंचशील नगर अपने घर के सामने एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी रख कर बिक्री कर रहा है।

उक्त सुचना पर उप निरीक्षक हितेश जंघेल ने अपने स्टाफ सउनि जीवन वर्मा प्र. आर संजय सोनी, आर वेजेन्द्र निराला, राकेश ठाकुर, महिला आरक्षक मंजू साहू के साथ संतोष सिह के घर के पास पंचशील नगर गुरूनानक वार्ड जाकर रेड किया मौके पर एक सफेद प्लास्टिक बोरी में अवैध शराब रख कर बिक्री करते रंगे हाथ संतोष सिह सरिया पिता स्व. दिलीप सिह सरिया उम्र 33 साल निवासी पंचशील नगर गुरूनानक वार्ड भाटापारा को पकड़कर उसके कब्जे से 12 बोतल मेकडावल नंबर 1 अंग्रेजी शराब चंडीगढ पंजाब निर्मित जब्त कर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उक्त जप्त अवैध शराब नवीन जैन पिता सोमचंद जैन निवासी भाटापारा का है और शराब बेचने के एवज में मजदूरी देना बताया।

पूछताछ में आरोपी संतोष ने उसके पुराने अपने घर पर 8 पेटी शराब होने की जानकारी देते हुए उसे भी जब्त कराया।पुलिस के मुताबिक एक पेटी में 12 बारह बॉटल शराब है मेकडावल नंबर 1से भरी उक्त अंग्रेजी शराब जुमला 72.00 बल्क लीटर किमत 72,000 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। पुलिस ने आरोपी संतोष सिह सरिया को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी : राजस्व

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106207012021005

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी रितु सोनी पिता/पति विकास सोनी पता- एमआईजी 2/167 दीनदयाल उपाध्याय नगर डंगनिया रायपुर तहसील व जिला रायपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 725/8(0.0186) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — **तहसीलदार तहसील-दुर्ग**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी : राजस्व

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106212012021025

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी सीमा सिंह पिता/पति देवेन्द्र कुमार सिंह पता- 18/जी ए जैन मंदिर रोड विद्युत नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 725/6(0.0186), 725/7(0.0186) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — **तहसीलदार तहसील-दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202107100400287

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नंदकुमार ताम्रकार आ. तोरनलाल निवासी बरईपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. 09 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1240/1 रकबा 0.01 हें/ 200 वर्गफीट वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400443

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मीना देशमुख पति थानेश्वर देशमुख निवासी आदित्य नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 496/7 रकबा 0.022 हें/ 2420 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400444

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक गिरीश कुमार आ. थानेश्वर प्रसाद निवासी आदित्य नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 220/7 रकबा 0.015 हें/ 1650 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202107100400142

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती आरती चन्द्राकर पति कृष्ण कुमार चन्द्राकर निवासी विवेकानंद नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 355/3 ह, 356/32 रकबा 0.010 हें/ 1050 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202107100400141

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती आरती चन्द्राकर पति कृष्ण कुमार चन्द्राकर निवासी विवेकानंद नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 355/3 ज्ञ, 356/35 रकबा 0.010 हें/ 1050 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी : राजस्व

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00022 ग्राम के रिसाली नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रं. सी.जी 5106201022021030

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी रामसिंह पिता स्व. गुरुनाम सिंह पता- 216 जी/ रिसाली सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 913/5(0.0042) में नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.07.2021 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं मदमुद्रे से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया जाता है।

मुहर — **तहसीलदार तहसील-दुर्ग**

राज्य में खरीफ फसलों की हो चुकी 61 % बोनी

किसानों को 3451.74 करोड़ रूपए का ऋण वितरित

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य खरीफ फसलों की बुआई का सिलसिला तेजी से जारी है। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19 जुलाई तक धान, अन्य अनाज के फसलों सहित दलहन-तिलहन और साग-सब्जी की बुआई 29 लाख 24 हजार 160 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बोआई के लक्ष्य का 61 प्रतिशत है। अब तक राज्य में 24 लाख 25 हजार 960 हेक्टेयर में धान, एक लाख 84 हजार 170 हेक्टेयर में अन्य अनाज की फसलों सहित एक लाख 43 हजार 640 हेक्टेयर में दलहन, 95 हजार 690 हेक्टेयर में तिलहनी तथा 74 हजार 700 हेक्टेयर रकबे में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की बुआई पूरी कर ली गई है। राज्य में खरीफ सीजन 2021 में 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य है। जिसमें 36 लाख 95 हजार 420 हेक्टेयर में धान, 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में अन्य अनाज की फसलें और 3 लाख 76 हजार 670 हेक्टेयर में दलहन, 2 लाख 55 हजार 490 हेक्टेयर में तिलहन तथा एक लाख 32 हजार 340 हेक्टेयर में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 29 लाख 24 हजार 160 हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता एवं कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से किसानों द्वारा जैविक खाद का भी उपयोग किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर क्रय कर बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा है। अब तक राज्य के 5584 गौठानों में 48 लाख 81 हजार क्विंटल से अधिक गोबर क्रय किया जा चुका है। जिससे 6 लाख 25 हजार 602 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा तथा 2 लाख 50 हजार 223 क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 4 लाख 47 हजार 87 क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तथा 83 हजार 755 क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की मांग के अनुरूप आदान सहायता के रूप में प्रदाय किया गया है। इस साल खरीफ सीजन के लिए 5300 करोड़ रूपए कृषि ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

खाद के अनुमोदित लक्ष्य का 55 प्रतिशत

खरीफसीजन 2021 के लिए खाद एवं बीज की किसानों को आपूर्ति की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से की गई है। खरीफकी विभिन्न फसलों के बीज की कुल मांग 11 लाख 7 हजार 989 क्विंटल के विरूद्ध अब तक 8 लाख 73 हजार 985 क्विंटल बीज का भण्डारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। किसानों द्वारा अब तक 7 लाख 47 हजार 530 क्विंटल बीज का उठाव कर लिया गया है। फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार एक लाख 55 हजार 489 क्विंटल धान के अतिरिक्त अन्य खरीफफसलों के बीज की व्यवस्था की गई है। खरीफमें 11 लाख 75 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक के वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 43 हजार 64 मीट्रिक टन खाद की प्राप्ति हुई है, जो कि खाद के अनुमोदित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है।

खरीफविपणन वर्ष 2021-22 में बस्तर जिले में कुल 142633 मेट्रिक टन धान की खरीदी

जगदलपुर/नवप्रदेश। खरीफविपणन वर्ष 2021-22 में जिले में कुल 142633 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। जिसमें से 85925 मेट्रिक टन धान मिलरों को तथा शेष धान 56170 मेट्रिक टन जिले के संग्रहण केन्द्रो में भंडारित की गई है। साथ ही अन्य जिले बीजापुर तथा दंतेवाड़ा से भी जिला बस्तर के धान संग्रहण केन्द्रों में भंडारित किया गया है। जिले में कुल 03 धान संग्रहण केन्द्र छोटेदेवड़ा, बिरिंगपाल एवं नियानार है, जहां कुल 124203 से धान संग्रहित है। वर्तमान में जिले के मिलरों को संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जा रहा है। कलेक्टर श्री रजत बंसल के द्वारा 06 जुलाई को संग्रहण केन्द्र बिरिंगपाल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संग्रहण केन्द्र में धान के उचित रख-रखाव तथा आकस्मिक वर्षा से बचाव हेतु समुचित उपाय नहीं किये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही खाद्य विभाग को संग्रहण केन्द्र के जांच हेतु निर्देश दिये थे।

कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगाए 1.13 करोड़ टीके

92.46 लाख लोगों ने पहला टीका और 20.97 लाख लोगों ने लगवाए हैं दोनों टीके

45 वर्ष से अधिक के 86 प्रतिशत और 18 से 44 आयु वर्ग के 27 प्रतिशत नागरिक लगवा चुके हैं पहला टीका

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (19 जुलाई तक) एक करोड़ 13 लाख 42 हजार 263 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 92 लाख 45 हजार 685 लोगों को इसका पहला टीका और 20 लाख 96 हजार 578 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख नौ हजार 021 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 16 हजार 630 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 50 लाख 36 हजार 207 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 35 लाख 83 हजार 827 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 43 हजार 223 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 21 हजार 302 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 15 लाख 36 हजार 138 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 95 हजार 915 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

27 प्रतिशत युवाओं ने कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवा लिया

प्रदेश में 91 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, शत-प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 86 प्रतिशत नागरिकों और 18 से 44 आयु वर्ग के 27 प्रतिशत युवाओं ने कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है। वहीं 72 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, 76 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक के 26 प्रतिशत लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश में कुल एक करोड़ 99 लाख 32 हजार 392 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इनमें तीन लाख 39 हजार 732 स्वास्थ्य कर्मी, दो लाख 93 हजार 040 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 58 लाख 66 हजार 599 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक करोड़ 34 लाख 33 हजार 021 नागरिक शामिल हैं।

पीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 6 केंद्र

एक हजार 380 अभ्यर्थी शामिल होंगे

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 26 जुलाई से 29 जुलाई 2021 तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। बिलासपुर जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिसमें एक हजार 380 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए उड़नदस्ता प्रभारी और संवितरण अधिकारी नियुक्त किए गए है। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय में बनाए परीक्षा केंद्र में 250 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

इसी तरह देवकीनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर के परीक्षा केंद्र में 200 अभ्यर्थी, मिशन उ.मा. शाला बृहस्पति बाजार बिलासपुर के परीक्षा केंद्र में 250 अभ्यर्थी, कौशलेन्द्र राव विधि स्नाकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 250 अभ्यर्थी, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दयालबंद में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 250 अभ्यर्थी और शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा. शाला दयालबंद में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 180 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

लंबित 16% महंगाई भत्ता को लेकर ज्ञापन सौंपा

कोरबा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर 20 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर पैकरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम लंबित 16त्न महंगाई भत्ता का ज्ञापन सौंपा।

संयोजक प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 12त्न महंगाई भत्ता दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जुलाई 2019 से लंबित 5% महंगाई भत्ता दे य तिथि से स्वीकृत करने संघर्षरत रहा है फेडरेशन 14 सूत्रीय में सम्मिलित इस मांग को लेकर दिसंबर 2020 में कलम रख... मसाल उठा.. आंदोलन तीन चरणों में कर चुका है इस तरह केंद्र के कर्मचारियों को 28त्न महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में मात्र 12त्न महंगाई भत्ता ही मिल रहा है जिससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 5000 हजार का नुकसान उठानी पड़ रही है इसके विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर कोरबा को सौंपा गया। इस अवसर पर संरक्षक केआर डहरिया, संयोजक प्यारे लाल चौधरी, कार्यकारी संयोजक जनार्दन उपाध्याय, महासचिव आर के पांडे, सहसंयोजक तरुण राठौर, गजानन दुबे, संतोष शुक्ला, कोषाध्यक्ष विनय सोनवानी, प्रवक्ता अनूप, प्रचार सचिव राजेश राय, सहित कर्मचारीगण भारी संख्या में उपस्थित थे।

ऑनलाईन परीक्षा के आयोजन के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

गरियाबंद/नवप्रदेश। जिले में अध्ययनरत डीएलएड के छात्रो ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुँचे छात्रों ने कोरोना काल में डी.एल.एड की परीक्षा ऑफलाइन के बजाय ऑनलाईन मोड पर लेने के संबंध अपनी मांग कलेक्टर के समक्ष रखे। छात्रों ने कहा कि हम सभी गरियाबंद जिले के डी . एल.एड. के परीक्षार्थी है, करोनाकाल की रोकथाम के लिए लगाए गए। लॉकडाउन के कारण प्रारंभ से ही स्कूल एवं महाविद्यालय बंद है , जिसके कारण हमारी पढ़ाई एवं सम्पूर्ण गतिविधियां राज्य शासन के निर्देशानुसार घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाईन पढ़ाई हुई है जिसके वजह से बहुत से दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थी नेटवर्क समस्या और व्यक्तिगत समस्याओं के वजह से क्लास से जुड़ नहीं पाए थे , देरी तक प्रवेश प्रक्रिया चलने के कारण अभी कुछ विषयों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया है , परन्तु माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 13 जुलाई 2021 को डी.एल.एड , की होने वाली ऑफलाइन मोड पर होने वाली परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है , जिसके लिए सभी छात्र चिंतित है , और सभी में मायूसी छाई हुई है , क्योकि अधिकांश छात्र दूसरी जिले से पेपर दिलाने आये सभी सभी छात्र यही आशा में थे , कि जब सभी कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाईन हो रही है तो हमारी भी परीक्षा ऑनलाईन ही होगी । जब 10 वीं , 12 वीं बोर्ड बी.एस.सी ... एस.एस.सी. , बी.एड. और इंजीनियरिंग की परीक्षा ऑनलाईन हो सकती है तो हमारी भी क्यों नही हम एक ही डिप्लोमा वाले के साथ ऐसा अन्याय क्यों ? अतः उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा मंत्री को सबके साथ एक समान न्याय करते हुए जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा नीति पर विचार करते हुए डी.एल.एड , की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर सम्पन्न कराने की मांग की।

बारिश नहीं होने से किसान परेशान

गरियाबंद/नवप्रदेश। मौसम की बेरूखी अन्नदाता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बीते एक पखवाड़े से बारिश नही होने से धान की फसल पर सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। धान के पौधे तेज गर्मी से मुरझा गए है। आषाढ़ का महीना समाप्ति की ओर है फिर भी बारिश का अतापता नहीं है। किसानों की नज़र अब आसमान की ओर टिका हुआ है। खेतों में मिट्टी दरककर सूखने लगी है और रोपा मुरझाने लगे हैं। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा इधर तेज धूप के कारण खेतों में दरारें बढ़ने लगी है। ये दरारें किसानों की चिंता दोगुनी कर रही। वर्षा पर आश्रित किसानों की उम्मीद भी टूटने लगी है। सारे किसान फिलहाल राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गरियाबंद के नेशनल हाइवे से लगे रोड किनारे के खेतों का जायजा लिया, यहां की मिटटी तेजी से सूख रही है। ऐसा ही हाल क्षेत्र के अन्य खेतों का भी है। खेतों में बड़ी बड़ी दरारे उभर आई है।

खाली बारदानों के लिए शासन ने जारी किए 1 करोड़ 42 लाख

जिले के 320 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्राप्त होगी राशि

कोण्डागांव/नवप्रदेश। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन में उपयोग किए गए पीडीएस बारदानों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा 01 जुलाई को सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को राशि अंतरित किया गया। जिसके तहत् कोण्डागांव को 1 करोड़ 42 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। जिसे कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा शीघ्र शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों को स्थानांतरित करने जिला विपणन अधिकारी कोण्डागांव एवं नोडल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कोण्डागांव को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से 949480 नग खाली बारदाना प्राप्त कर उपार्जन केन्द्रो को उपलब्ध कराया गया था। शासन से प्राप्त बारदानों के लिए 15 रूपये प्रति नग की दर से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को भुगतान किया जाना है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा उक्त बारदानों के लिए 50 प्रतिशत राशि एक करोड़ ब्यालीस लाख रूपये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को अंतरित किया गया है। जिसे शीघ्र जिले के समस्त 320 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों को अंतरित किये जाने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित किया गया है।

गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत

गुंडरदेही/नवप्रदेश। गुंडरदेही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तवेरा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी सी चंद्रहास के कार जलने के मामले में एवं 14 जुलाई को सोख्ता गड्ढा में 2 वर्ष की मासूम की मौत हो जाने के बाद तवेरा गांव की घटना की चर्चा चौक चौराहों सहित लोगों की जुबान पर है आखिर इस घटना की जिम्मेदार कौन हैं और लगातार आज प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। कार जलने के बाद सुबह जांच में पहुंचे बालोद एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा के आगमन के तुरंत बाद गुंडरदेही एसडीएम भूपेंद्र अग्रवाल तहसीलदार अश्वन कुमार उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर घटना की विस्तृत जानकारी लिए अब देखना होगा कि प्रशासन कार जलाने वाले आरोपी को पहले पकड़ते हैं या लापरवाही पूर्वक सोख्ता गड्ढा खोदने वाले जिम्मेदार पर कारवाही कौन से गति पर आगे बढ़ रहे हैं दोनों मामले की जांच करना प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है पुलिस विभाग राजस्व विभाग प्रमुखता से दोनों घटना की जांच में जुट गए हैं।

गोधन न्याय योजना की मॉनिटरिंग सही तरीके से कर रिपोर्टिंग करें क्लस्टर प्रभारी : एल्मा

नगरीय निकायों की योजनाओं की समीक्षा करने सभी सीएमओ को दिए निर्देश

धमतरी/नवप्रदेश। कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें, कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचे और ज़िम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसके साथ ही उन्हें नगरीय निकाय की विभिन्न योजनाओं सहित गोधन न्याय योजना की समीक्षा करने पर कलेक्टर श्री एल्मा ने ज़ोर दिया है।

उन्होंने शासन की महत्ती गोधन न्याय योजना का ज़िले में सफल क्रियान्वयन के लिए क्लस्टर प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारियों को निर्देशित किया, कि वे गौठानों का निरीक्षण कर खरीदे गए गोबर को व्यवस्थित तरीके से रखने, तैयार वर्मी और सुपर कंपोस्ट खाद के निराकरण और विक्रय सम्बन्धी रिपोर्ट दें। बैठक में कलेक्टर ने ज़ोर दिया है कि सभी क्लस्टर प्रभारी सम्बन्धित गौठान का निरीक्षण कर क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी स्थिति से अवगत कराएं, ताकि वहां कोई समस्या हो तो निराकरण किया जा सके। कलेक्टर ने साथ ही ज़िला स्तर पर भी रिपोर्टिंग करने कहा है।

आज सुबह 11 बजे से कलेक्टरोरेट सभा कक्ष में आहूत समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने शहरी वन अधिकार पत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियम को ठीक से पढ़कर, सर्वे कराएं और आगे की कार्रवाई करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को शहरी वन अधिकार प्रमाण पत्र दिया जा सके। आज की बैठक में कलेक्टर ने वज़न त्योहार की जानकारी लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को जल्द से जल्द इसकी एम.आई.एस. एंट्री कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहित कर जितने रकबे में धान के बदले वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसकी सही-सही जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरण, उच्च कार्यालय से मिले पत्रों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इनका गुणवत्तापूर्वक निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, ज़िला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

पर्यटन | पर्यटन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने ऊर्जावान कांग्रेस नेता को दी है

अटल छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लाएंगे राष्ट्रीय मानचित्र पर

बिलासपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उर्जावान कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव को दी है। पेशे से इंजीनियर अटल से छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यटन को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।

सरकार के ढाई साल बीत जाने के बाद आखिर में बिलासपुर के कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। अटल की रूचि के मुताबिक उन्हें पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। अभी वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद पर हैं। बिलासपुर लोकसभा का चुनाव हार जाने के बाद विशेष रूप से अटल श्रीवास्तव को समर्थकों में मायूसी हुई। इस बीच पिछले छह माह से यह चर्चा होती रही कि अटल को निगम आयोग में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर में अभी चौथी सूची में उन्हें पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित है कांग्रेस के कई नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा निगम आयोग के माध्यम से दिया गया। ऐसा ही अटल श्रीवास्तव भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लेंगे।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में चारों ओर हरियाली है। नदी, पहाड़, झरने यह सब नैसर्गिक रूप से छत्तीसगढ़ में मौजूद है। जिस तरह से राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में आना था ऐसा हो नहीं पाया।

सरकार की प्राथमिकता पर्यटन को बढ़ावा देने की रही है मगर इस दिशा में जो कार्य अभी तक किए गए उससे ऐसा नहीं लगा कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक यहां आएं। रायपुर में जंगल सफारी को वन विभाग ने डेवलप किया है। ऐसा ही कई ऐसे क्षेत्र है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। अटल श्रीवास्तव इंजीनियर है इसलिए वे जरूर इस दिशा में गंभीरता से काम करेंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य गुणवत्ता समीक्षक के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा राज्य गुणवत्ता समीक्षक के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक निर्धारित है। राज्य गुणवत्ता समीक्षक के लिए कोई भी सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर अथवा प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलीटेक्निक कॉलेज) छत्तीसगढ़ से अथवा पड़ोसी राज्यों के अनुभवी अभ्यर्थी (रोड़ व ब्रिज निर्माण में कन्सट्रशन एवं मेन्टीनेंस का कार्य अथवा समतुल्य योग्यता) वाले निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।